क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 10 | मई 16-31, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-12

मणिपुर में हुई हिंसा के लिए कौन ज़िम्मेदार है?

3 मई से 5 मई, 2023 के बीच तीन दिन और तीन रात तक मणिपुर में अराजकता और हिंसा की हालतें बनी रहीं। राजधानी इंफाल, चुरचंदपुर, बिष्णुपुर सहित राज्य के कई अन्य शहरों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हथियार बंद गिरोहों ने उत्पात मचाया। उन्होंने लूटपाट की तथा मौत और तबाही फैलाई। लोगों के घरों और उनकी संपत्ति को बर्बाद किया। दसों हज़ार लोगों को अपना घर छोड़ने और सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित अस्थायी शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर के जिन गांवों की सीमायें पड़ोसी राज्यों असम, मेघालय और मिज़ोरम से सटी हैं वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिये उन राज्यों में चले गए। जबकि सरकार ने आंकड़े देने से इनकार कर दिया है परन्तु ऐसा लगता है कि कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। यह सब राज्य की पुलिस और सशस्त्र बलों की चौकस निगाहों की देखरेख में चल रहा है। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्स्पा) लागू है। सेना ने नागरिकों की सरकार के मुखौटे के पीछे से दशकों तक शासन किया है।

केंद्र सरकार ने 5 मई को मणिपुर पर धारा 355 लगा दी। तब से सरकार ने राज्य में हजारों अतिरिक्त सैनिकों को हवाई जहाज के ज़रिये लाकर तैनात किया है। हिन्दोस्तानी सेना और मणिपुर पुलिस को आदेश दिये गये हैं कि देखते ही गोली मार दो (शूट एट साईट)।

सोशल मीडिया के ज़रिए फैली अफ़वाहों ने गुस्से को और भड़का दिया है। अराजकता और हिंसा के कारण को लेकर अख़बारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिये सभी प्रकार की कहानियां फैलाई जा रही हैं। सब जनता को दोष दे रहे हैं।

इस भड़काऊ प्रचार के अनुसार, इस जानलेवा तांडव को दो समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है। यह सच नहीं है। लोगों ने एक-दूसरे की रक्षा की है। अराजकता और हिंसा राज्य द्वारा आयोजित की गयी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेना के शासन वाले राज्य में, जहां पर अफ्स्पा लागू है, जिसके तहत सशस्त्र बलों को किसी भी सज़ा के डर के बिना, किसी को भी गोली मारने की अनुमति है वहां इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है?

सारे मीडिया प्रचार का उद्देश्य यह छिपाना है कि मणिपुर में क्या समस्या है और संकट पैदा करने वाला कौन है।

यह सर्वविदित है कि उत्तर पूर्व के राज्यों और ख़ासकर मणिपुर में, केंद्र सरकार की खुफ़िया एजेंसियों ने विभिन्न हथियारबंद आतंकवादी गिरोहों के साथ घनिष्ठता से समन्वय स्थापित किया है। इनमें से कई गिरोहों को खुफ़िया एजेंसियों द्वारा सशस्त्र और वित्तपोषित किया जाता है। केंद्र सरकार इन गिरोहों की हिंसक गतिविधियों की ओर इशारा करके ही सेना के शासन और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को सही ठहराती है। ये हथियारबंद गिरोह, सेना के दमनकारी शासन की ओर इशारा करके अपने अस्तित्व को सही ठहराते हैं। एक साथ और अलग-अलग, हिन्दोस्तानी सशस्त्र बल और हथियारबंद गिरोह, उन्हीं लोगों के ऊपर दमन और आतंक में सहयोग करते हैं, जिनकी रक्षा करने का वे दावा करते हैं। साथ ही साथ वे म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से अफीम, नशीली दवाओं और अन्य वस्तुओं की तस्करी की विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वे गिरोह परजीवियों की तरह लोगों का खून चूसते हैं और निजी संपत्ति बटोरते हैं। मणिपुर में नागरिक सरकारें केंद्रीय राज्य की देखरेख में इन हथियारबंद गिरोहों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करती हैं। इस समय मणिपुर में फैली अराजकता और हिंसा के लिए केंद्र सरकार, उसकी खुफ़िया एजेंसियां और सशस्त्र बल पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।

इस अराजकता और हिंसा को भड़काने का मक़सद, मणिपुर के लोगों को उनके सामने मौजूद गंभीर समस्याओं के समाधान की तलाश की दिशा से भटकाना है। मणिपुर के मज़दूर, किसान और आदिवासी लोग, महिलाएं और नौजवान बड़ी कठिनाई और असुरक्षा का जीवन जी रहे हैं। वहां पर उच्च शिक्षा संस्थान बहुत ही कम हैं। युवाओं में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है क्योंकि उन्हें नौकरी पाने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। नौजवानों को शिक्षा और रोज़गार की तलाश में देश के दूर-दराज़ के इलाकों में जाना पड़ता है। ऊपर से सेना के शासन ने आम जनता का जीवन को नर्क़ बना दिया है। मणिपुर के लोगों के

शेष पृष्ठ 6 पर

जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने को मिला जबरदस्त समर्थन

ओलंपिक पदक विजेता और राष्ट्रमंडल चैंपियन जैसे देश के जाने-माने पहलवान, 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यू. एफ.आई.) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि डब्ल्यू.एफ.आई. प्रमुख को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

चार दिनों के निरंतर विरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर दिल्ली पुलिस ने एफ़.आई.आर. दर्ज़ की थी। परन्तु पहलवानों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। पहलवानों ने घोषणा की है कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे और अगर 21 मई तक डब्ल्यू.एफ.आई. प्रमुख को गिरफ़्तार नहीं किया गया तो अपना आंदोलन और तेज़ करेंगे।

7 मई की शाम को प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि उनके समर्थन में कैंडल मार्च निकालें।

प्रदर्शनकारी पहलवानों और उनके समर्थकों को धरना स्थल पर पुलिस और अधिकारियों की प्रताड़ना का सामना करना

पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती के साथ, बैरिकेड्स के पीछे बंद कर दिया गया है। भारी बैरिकेडिंग और पुलिस की धमकाऊ उपस्थिति पहलवानों के लिए, लोगों के साथ बातचीत करने में एक बाधा बन गयी है।

3 मई की रात को भारी बारिश के बाद जब प्रदर्शनकारी पहलवान रात गुज़ारने के लिए फोल्डिंग बेड लाने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने पहलवानों पर हमला किया था। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर धरना स्थल पर बिजली और पानी की सप्लाई काटने का आरोप भी लगाया है, जिससे उनकी असुविधाएं और असुरक्षा बढ़ गई हैं। अधिकारियों के इस प्रकार के बर्ताव से नाराज़ और अपमानित होकर, पहलवानों ने अपना विरोध प्रकट करने के रूप में, अपने पदकों वापस करने की धमकी दी है।

महिला संगठन, किसान संगठन, मज़दूरों और नौजवानों के संगठन और देशभर से सैकड़ों लोग पहलवानों से मिलने और अपना समर्थन जताने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं।

चार राष्ट्रीय महिला संगठनों – आल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन

शेष पृष्ठ 12 पर

अंदर पढ़ें

- 1857 के महान ग़दर की पुकार 2
- कार्ल मार्क्स की 205वीं सालगिरह पर 3
- सरकार ने डाक मज़दूरों की दो यूनियनों की मान्यता रद्द की 4
- एयर इंडिया पायलटों द्वारा काम की नई परिस्थितियों का विरोध 4
- कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी सैन्य अभ्यास 5
- किसानों का बड़े पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष 6
- मई दिवस के अवसर पर दुनिया भर के मजदूरों की रैलियां 7
- लंदन में मई दिवस की उत्साहपूर्वक रैली का आयोजन 8
- मई दिवस पर मज़दूर एकता कमेटी का बयान 8
- हिन्दोस्तान में मई दिवस की रैलियां 9
- तमिलनाडु में मज़दूरों ने मई दिवस मनाया 10
- दिल्ली में मई दिवस पर रैली 11

हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!

1857 के महान ग़दर की यह पुकार अभी तक साकार नहीं हुई है

10 मई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ख़िलाफ़ हुये महान ग़दर की वर्षगांठ को हिन्दोस्तान के लोग बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। 1857 में इसी दिन सेना की मेरठ छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के ख़िलाफ़ बग़ावत का झंडा बुलंद किया था। उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया था और मुगल शासक बहादुर शाह ज़फर के समर्थन से अंग्रेजों को हिन्दोस्तान से निकाल फैंकने के अपने इरादे का ऐलान किया था। उन्होंने देश के कोने–कोने से सभी समुदायों के लोगों से अपने साथ जुड़ने का आह्वान किया था। उनका बहुत ही प्रेरणादायक नारा था – हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!

अंग्रेजों के ख़िलाफ़ की गई यह बग़ावत थोड़े ही समय में उत्तरी, मध्य पूर्वी, पूर्वोत्तरी और दक्षिणी हिन्दोस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गयी। उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता का पतन लगभग होने ही वाला था, क्योंकि आम जनता के समर्थन के साथ, ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने अपनी बंदूकों की नलियों को सत्ता की ओर तान दिया था। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के ख़िलाफ़ कहीं भी होने वाला यह सबसे बड़ा विद्रोह था, वह भी ऐसे समय पर जब ब्रिटिश हुकूमत अपनी शक्ति की ऊंचाईयों पर थी। अभूतपूर्व क्रूरता और आतंक का इस्तेमाल करके, अंततः ब्रिटिश शासक हिन्दोतानियों के इस बहादुर संघर्ष को कुचलने में सफल रहे थे। फिर भी, 1857 का महान ग़दर तब से लेकर आज तक हमारे लोगों के मुक्ति संघर्षों में एक प्रेरणादायी और एक शक्तिशाली ताक़त बतौर उनका हौसला बढ़ाता आया है।

ठीक उसी समय कार्ल मार्क्स ने इस बग़ावत को हिन्दोस्तान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहचान दी थी और उसका स्वागत किया था। यह स्पष्ट था कि वह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और समाज के विभिन्न वर्गों व स्तरों के लोग शामिल थे। उसका उद्देश्य कुछ लोगों के विशेषाधिकारों को बहाल करना नहीं था, बल्कि एक नए हिन्दोस्तान का निर्माण करना था, जो उसके अपने लोगों का हो। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इस बहादुर संघर्ष को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके महत्व को कम करने के लिये कहा कि यह बंगाल सेना के "केवल सिपाहियों का विद्रोह" था जो कुछ महीनों में ख़त्म हो गया। उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति के बाद, हिन्दोस्तान के पूंजीवादी शासकों ने भी महान ग़दर के महत्व को कम करके आंका है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में अंग्रेजों के साथ समझौता करके और हमारे लोगों के शोषण और दमन के लिये उपनिवेशवादियों द्वारा बनाये गये ढांचे को बरकरार रखते हुए ही यह वर्ग सत्ता में आया था। यह उनके हित में था कि 1857 के विद्रोह के वास्तविक प्रेरणादायक चरित्र और उसके देशभक्तिपूर्ण व लोकतांत्रिक विचारों तथा हिन्दोस्तान के लिए उसके एक नए दूरदर्शी दृष्टिकोण को सामने न लाया जाए।

अंग्रेजों ने जिस तरह से उस विद्रोह को पेश करने की कोशिश की थी, उसके विपरीत 1857 का वह विद्रोह एक अचानक हुई घटना या सेना के किसी एक रेजिमेंट के भीतर के असंतोष से उत्पन्न नहीं हुआ था। पूरे हिन्दोस्तान के गांवों और क़स्बों में आम लोगों और आदिवासी लोगों ने कई दशकों से अंग्रेजों तथा उनके दमनकारी शासन और शोषण के ख़िलाफ़ कई लड़ाइयां लड़ी थीं। विद्रोह के फैलने के पहले से ही ब्रिटिश क़ब्ज़ाकारियों के ख़िलाफ़ लोगों को लामबंध करने के लिए महीनों से प्रयास किए जा रहे थे। यही वह पृष्ठभूमि थी, जिसकी वजह से 1857 की मई में एक रेजिमेंट में शुरू हुए विद्रोह ने विदेशी शासन के ख़िलाफ़ सर्व हिन्द बग़ावत का रूप धारण कर लिया।

एक बार जब दिल्ली में ग़दर का झंडा फहरा दिया गया, तब लड़ने वाले सिपाहियों

ने न केवल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध के संचालन को व्यवस्थित करने की, बल्कि एक नई राज्य सत्ता का आधार स्थापित करने की पहल भी की थी। इस नई राज्य सत्ता का मक़सद न तो मुगलों के शासकों को वापस लाना था, न ही ब्रिटिश हुकूमत की नकल करना था। इस हक़ीक़त से पता चलता है कि वे देशभक्त बहुत ही दूरदर्शी लोग थे, जिनकी दूरदृष्टि केवल अंग्रेजों को हराने तक ही सीमित नहीं थी।

इस संघर्ष के दौरान एक सैनिक परिषद की स्थापना की गई थी जिसने एक छः पृष्ठ का दस्तावेज़ जारी किया था। जिसे एक नई सरकार का 'संविधान' कहा जा सकता था और जिसमें एक बारह सूत्रीय कार्यक्रम शामिल था। अन्य बातों के अलावा परिषद ने प्रशासन के कामकाज को चलाने के लिये एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी, जिसने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया था। इस कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने के दो–दो प्रतिनिधि और चार नागरिक सदस्य थे जिन्हें चुना गया था। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का प्रभारी होता था और चार अन्य सदस्यों की एक समिति द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाती थी। समितियां विचार–विमर्श करती थीं और अपनी सिफ़ारिशें पेश करती थीं, लेकिन अंतिम फ़ैसले सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही लिए जाते थे। केवल अध्यक्ष के पास दो वोट थे, जबकि बाकी सभी सदस्यों के पास एक–एक वोट थे। मुगल बादशाह को कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सभाओं में शामिल होने का अधिकार था और उसे उसके निर्णयों को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती थी, लेकिन सभी फ़ैसले कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही लिए जाते थे।

इस नए प्रकार की राज्यसत्ता को भ्रूण अवस्था में ही रहना पड़ा, क्योंकि सभी संघर्षरत लोगों को बहुत ही जालिम, वहशी और धूर्त शत्रु के विरुद्ध लगातार युद्ध छेड़ना पड़ता था। इसलिए उन्हें इस नई राज्य सत्ता को मजबूत करने और विकसित करने के लिए बहुत कम समय मिल पाया था। फिर भी इससे पता चलता है कि अंग्रेजों के ख़िलाफ़ हुई बग़ावत के दौरान, हिन्दोतान के लोगों ने अपनी खुद की लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रतिभा को उस तरह की एक नई शासन–प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें हिन्दोस्तान के आम लोग देश के मालिक होंगे।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि यह विद्रोह उत्तरी हिन्दोस्तान के कुछ हिस्सों और कुछ रेजीमेंटों तक ही सीमित था। विशेष रूप से उन्होंने दावा किया था कि पंजाब उनके प्रति 'वफ़ादार' था। परन्तु हक़ीक़त यह है कि उस समय पंजाब के कई हिस्सों में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ विद्रोह हो रहा था। इसी तरह, यह कहा जाता है कि विद्रोह का विस्तार दक्षिण हिन्दोस्तान तक नहीं हुआ था। इसके विपरीत, दक्षिण हिन्दोस्तान के क्षेत्र में कई विद्रोह हुए, जो मुख्य रूप से सेना में नहीं होने के बावजूद, उन संघर्षों में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। इस क्षेत्र के विद्रोहियों को उत्तरी हिन्दोस्तान में होने वाले ग़दर के बारे में पता था और उन्होंने भी उनके साथ अपने संघर्षों का समन्वय करने की पूरी कोशिश की थी।

निस्संदेह, वह सैनिकों और किसानों, आदिवासियों, कारीगरों, शहरी आबादी और विभिन्न वर्गों के देशभक्त लोगों का एक सामूहिक विद्रोह था। जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालने के उद्देश्य से धर्म, जाति और क्षेत्रीय मतभेदों को दरकिनार करके सभी लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था। वह विद्रोह सितंबर 1857 में समाप्त नहीं हो गया, जब ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद के कई वर्षों तक वह हिन्दोतान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में जारी रहा। वह बाद में भी हिन्दोस्तान के लोगों के लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी देशभक्तों और क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत बना रहा है।

हालांकि 1947 में, उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद, हिन्दोस्तान के शासकों ने कभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उनके अपराधों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया है। लेकिन हिन्दोस्तान के लोग 1857 के वीर सिपाहियों के ख़िलाफ़ ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई अभूतपूर्व बर्बरता को नहीं भूले हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मोटे तौर पर देखा जाये तो उस समय हिन्दोस्तान की आबादी का सात प्रतिशत या एक करोड़ हिन्दोस्तानी लोग ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों का शिकार हुए थे या बेरहमी से मार दिये गए थे! बाद के कई वर्षों तक देश के कई इलाकों में आबादी इतनी कम हो गयी थी और इस हद तक कम हो गई थी कि बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधिकारियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें कई जिलों में अपनी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मज़दूर नहीं मिल रहे। दिल्ली और अन्य शहरों को बदले की भावना से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एक ऐसी ताक़त जो यह दावा करती थी कि वह हिन्दोस्तान में "सभ्यता" लायेगी, लेकिन उसके प्रतिनिधियों ने विद्रोह को दबाने के लिए सबसे जालिम और बर्बर तरीक़ों का इस्तेमाल किया था। जिनमें शामिल थे विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देना और सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों की शाखाओं पर लटकाकर फांसी दे देना। इससे पता चलता है कि यह "विद्रोह" शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना बड़ा ख़तरा और चुनौती था।

हालांकि हमारे लोगों के निरंतर संघर्षों ने 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को हिन्दोस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए 1857 के बहादुर सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वे पूरी तरह से साकार नहीं हुए। उपनिवेशवादी शासन के साथ सहयोग करने वाला, हिन्दोस्तान का बड़ा पूंजीपति वर्ग देश का नया मालिक बन गया। जिसने मज़दूरों, किसानों और लोगों का दमन और शोषण करना जारी रखा है। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बेरहमी से दबाने के लिए जिन क़ानूनों और संस्थाओं को स्थापित किया था, नये शासकों ने उनका इस्तेमाल जारी रखा है। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली का एक रूप, हिन्दोस्तान में अभी तक जारी है, जो लोगों को हक़ीक़त में सत्ता से वंचित करके, केवल लोकतंत्र का भ्रम फैलाने का काम करता है। देशी और विदेशी शोषकों द्वारा अधिकतम मुनाफ़ा बनाने के लिए, लोगों के धन और संसाधनों का लूटा जाना अभी तक जारी है। 1857 के सेनानियों द्वारा शुरू किया गया वास्तविक मुक्ति का संघर्ष आज भी जारी है। इस संघर्ष में 1857 के महान ग़दर के विचार और उदाहरण आज भी हम सबको शिक्षित करते हैं और आगे की राह दिखाते हैं।

http://hindi.cgpi.org/23480

लोगों के निरंतर संघर्षों ने 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को हिन्दोस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए 1857 के बहादुर सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वे पूरी तरह से साकार नहीं हुए। उपनिवेशवादी शासन के साथ सहयोग करने वाला, हिन्दोस्तान का बड़ा पूंजीपति वर्ग देश का नया मालिक बन गया। जिसने मज़दूरों, किसानों और लोगों का दमन और शोषण करना जारी रखा है।

कार्ल मार्क्स की 205वीं सालगिरह पर :

महान क्रांतिकारी विचारक और कम्युनिज़्म के लिए लड़ने वाले कॉमरेड को सलाम

क्रांतिकारी विचारक और कम्युनिज़्म के लिए लड़ने वाले साथी कार्ल मार्क्स का जन्म, 5 मई, 1818 को हुआ था। पूंजीवादी समाज और उसके द्वारा अस्तित्व में लाई गई राज्य संस्थाओं को उखाड़ फेंकना और आधुनिक श्रमजीवी वर्ग की मुक्ति के संघर्ष में योगदान देना, उनके जीवन का मक़सद था। इस मक़सद के लिए, मार्क्स ने जीवनभर जोशपूर्ण संघर्ष किया।

ज्ञान के लिए उनकी जिज्ञासा, सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत से प्रेरित थी। उनके अपने शब्दों में, "दार्शनिकों ने विभिन्न तरीक़ों से केवल दुनिया की व्याख्या की है। हालांकि, ज़रूरत है इसे बदलने की।"

मार्क्स एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ज्ञान के बहुत से क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया और जिनमें उन्होंने स्वयं कई नई खोजें कीं। मार्क्स के लिए विज्ञान एक क्रांतिकारी ताक़त थी। उन्होंने विज्ञान में होने वाली खोजों का खुशी से स्वागत किया, जिनके फलस्वरूप समाज में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों पर प्रकाश डाला।

19वीं शताब्दी में पूंजीवाद के विकास के साथ–साथ, श्रमजीवी वर्ग की उत्पत्ति हुई और विकास भी हुआ। श्रमजीवी वर्ग आधुनिक उद्योग का नतीजा है। श्रमजीवी वर्ग का राजनीतिक संघर्ष जैसे–जैसे बढ़ा, मार्क्स और उनके साथ नज़दीकी से काम करने वाले फ्रेडरिक एंगेल्स का सैद्धांतिक काम भी विकसित हुआ। 1830 के दशक में, कई यूरोपीय देशों के श्रमजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा कम्युनिस्ट लीग नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट लीग के नियमों का मसौदा तैयार किया था, जिसे दिसंबर 1847 में उसकी दूसरी कांग्रेस में स्वीकार किया गया था। उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी संगठन के घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने की ज़िम्मेदारी भी दी गयी थी। जिसे 1848 में प्रकाशित किया गया, जो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो के नाम से दुनियाभर में प्रसिद्ध हुआ।

घोषणापत्र ने कम्युनिस्टों के कार्यभार निर्धारित किये – मज़दूर वर्ग को आवश्यक चेतना प्रदान करना ताकि वह शासक वर्ग बने और उत्पादन के साधनों की मालिकी को, निजी मालिकी से सामाजिक मालिकी में तब्दील करे।

1864 में यूरोप के अनेक देशों के मज़दूरों के प्रतिनिधियों की लंदन में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी, जिसमें मार्क्स को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंगमेन्स एसोसिएशन या फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई।

यह मार्क्स ही थे, जिन्होंने अपने प्रेरकशक्ति और अदम्य व्यक्तित्व से, बहुत ही कठिन हालतों में अगले आठ वर्षों तक इस अंतर्राष्ट्रीय संघ से जुड़े विभिन्न धारारओं के लोगों को एक साथ रखा। दुनियाभर के श्रमजीवी वर्ग की समाज में क्रांतिकारी भूमिका के विचार के प्रति उनकी वचनबद्ध ता ने ही फर्स्ट इंटरनेशनल को जीवित और सक्रिय रखा।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मार्क्सवाद, जिस विचारधारा को मार्क्स ने विस्तार से समझाया, किसी के मन की कोरी

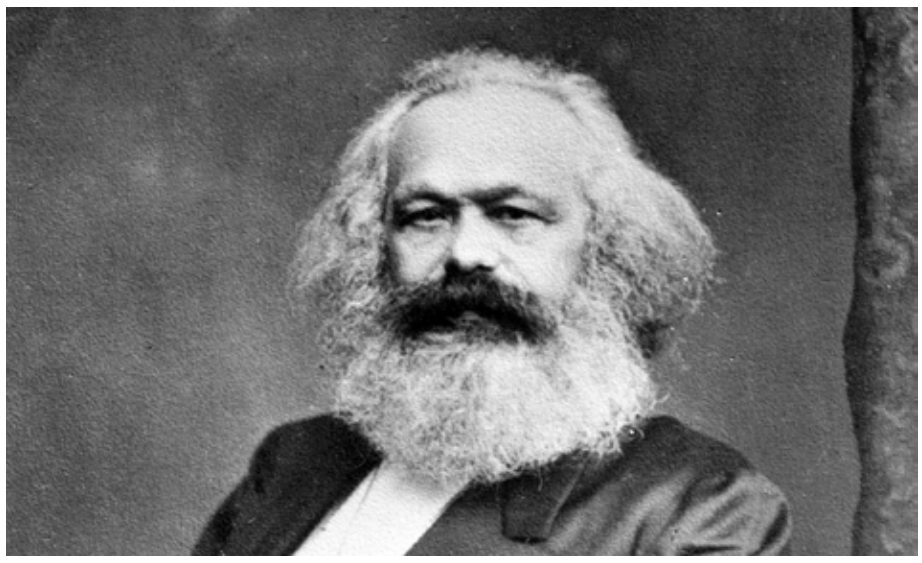

कल्पना नहीं है। यह सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के बीच, सरमायदार वर्ग के शासन को उखाड़ फेंकने के अपने मक़सद को हासिल करने के लिए श्रमजीवी वर्ग के वैचारिक हथियार के रूप में उभरा, ताकि श्रमजीवी वर्ग खुद को और पूरे समाज को शोषण और वर्ग विभाजन से मुक्त कर सके।

जैसा कि लेनिन ने एक लेख – "मार्क्सवाद के तीन स्रोत और तीन घटक भाग" में समझाया है – मार्क्सवादी सिद्ध ांत सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह सत्य है। यह व्यापक और सामंजस्यपूर्ण है और लोगों को एक एकीकृत विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, प्रतिक्रियावाद या सरमायदारी उत्पीड़न के बचाव का कट्टर विरोध करता है। यह उन्नीसवीं शताब्दी में मनुष्य द्वारा उत्पादित सर्वश्रेष्ठ सैद्धांतिक परंपराओं का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, जिसका प्रतिनिधित्व जर्मन दर्शन, अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद में था।

सामंती समाज के भीतर ही कैसे विकसित हुई और कैसे इसने उत्पादन की सामंती पद्धति का स्थान ले लिया। यह दिखाता है कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था का समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन अवश्यंभावी है।

मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेल (जो उस समय जर्मनी के सबसे प्रभावशाली विचारक थे), की द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई और मानव इतिहास की व्याख्या करने के लिए इसे और विकसित किया। उन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तरीक़े को जन्म दिया।

प्रकृति और समाज को समझने की द्वंद्वात्मक पद्धति यह सिखाती है कि सब कुछ लगातार गति की स्थिति में है, जो विरोधी ताक़तों के बीच की टक्कर का नतीजा है। द्वंद्वात्मकता का मानना है कि आंतरिक विरोधाभास सभी चीजों और घटनाओं में निहित है। उन सभी के अपने नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं, एक अतीत और एक भविष्य, कुछ जो मर रहा है

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मार्क्सवाद, जिस विचारधारा को मार्क्स ने विस्तार से समझाया, किसी के मन की कोरी कल्पना नहीं है। यह सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के बीच, सरमायदार वर्ग के शासन को उखाड़ फेंकने के अपने मक़सद को हासिल करने के लिए श्रमजीवी वर्ग के वैचारिक हथियार के रूप में उभरा, ताकि श्रमजीवी वर्ग खुद को और पूरे समाज को शोषण और वर्ग विभाजन से मुक्त कर सके।

फ्रांस में 18वीं शताब्दी के अंत में हुई बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति ने, हर तरह के अंधविश्वास और मध्ययुगीन विचार के ख़िलाफ़ विद्रोह करते हुए, भौतिकवाद के विकास को प्रेरित किया था। भौतिकवाद एकमात्र ऐसे दर्शन के रूप में उभरा जो प्राकृतिक विज्ञान की सभी शिक्षाओं से मेल खाता है।

मार्क्स ने दार्शनिक भौतिकवाद को पूरी तरह से विकसित किया और प्रकृति की समझ में विस्तार करके मानव समाज की समझ को उसके दायरे में शामिल किया। उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक चिंतन में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो दिखाता है कि उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण पर, उत्पादन के मौजूदा संबंधों, जो उत्पादक शक्तियों के और अधिक विकास के रास्ते में एक रोड़ा बन जाते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है। यह बताता है कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति और कुछ जो अस्तित्व में आ रहा है। इन अंतर–विरोधों के बीच, पुराने और नए के बीच, जो मर रहा है और जो पैदा हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है और जो उभर के आ रहा है, उनके बीच संघर्ष, विकास की प्रक्रिया की अंतर्वस्तु है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मार्क्स ने ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विकास किया। मार्क्स ने मूल्य के श्रम–सिद्धांत के समर्थन में सबूत दिये और इसे और विकसित किया। मार्क्स के बेशी–मूल्य के सिद्धांत ने पूंजीपति वर्ग के हाथों में पूंजी–संचय के स्रोत के साथ–साथ, बार–बार होने वाले अति–उत्पादन के संकट के कारण की व्याख्या की।

मार्क्स ने पहचाना कि पूंजी के मालिकों द्वारा बनाये गए मुनाफ़े का स्रोत श्रम के शोषण में है। एक मज़दूर जो प्रतिदिन 8 घंटे मेहनत करता है, वह दिन के केवल एक भाग में अपने लिए काम करता है, मान लीजिए कि पहले 4 घंटे में, जब वह मज़दूरी के रूप में उसे दिए गए मूल्य का पुनरुत्पादन करता है। बाकी के 4 घंटे वह अपने पूंजीपति मालिक के लिए बेशी–मूल्य (सरप्लस वैल्यू) पैदा करता है।

श्रम के शोषण के माध्यम से पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करने का एकमात्र उद्देश्य उत्पादक शक्तियों के निर्बाध विकास के रस्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जबकि बाज़ार वस्तुओं से भरा पड़ा है, मज़दूर वर्ग के पास उन्हें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इससे अति–उत्पादन का संकट बार–बार पैदा होता है। नतीजतन पूंजीवादी उत्पादन में कटौती की जाती है और मज़दूरों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाता है।

मार्क्स ने वह रास्ता दिखाया जिससे सामाजिक उत्पादन और उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के बीच के मूलभूत अंतर्विरोध को सुलझाया जा सकता है। उत्पादन के साधनों को, निजी संपत्ति से बदलकर सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करना होगा। इससे समाज में, पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उत्पादन करना संभव हो जाएगा।

मार्क्सवाद का तीसरा घटक हिस्सा, वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का विकास था। फ्रांस में बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के बाद निराशा हाथ लगी, क्योंकि क्रान्ति के वादों में और जो हासिल हुआ उनके बीच में भारी अंतर था। वहां पर, समाज की एक श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में समाजवाद का विचार और दृष्टि उभरी, जो पूंजीवाद की बुराइयों से मुक्त होगी। लेकिन फ्रांस में उभरे समाजवाद के शुरुआती विचार काल्पनिक (यूटोपियन) थे। काल्पनिक समाजवादी इस सवाल का समाधान करने में विफल रहा कि किस सामाजिक शक्ति में पूंजीवाद को समाजवाद में बदलने की रुचि और क्षमता है।

मार्क्सवाद ने समाजवाद को उसका वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मार्क्सवाद ने दिखलाया कि पूंजीवादी समाज वर्ग–विभाजित समाज का अंतिम चरण है, जो अगले उच्चतर चरण, एक वर्गहीन कम्युनिस्ट समाज में तब्दील हो जायेगा, जिसका प्रारंभिक चरण समाजवाद है। मार्क्सवाद ने श्रमजीवी वर्ग की व्याख्या की – वह वर्ग जिसके पास अपनी श्रम शक्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं है; उस वर्ग के रूप में जिसके पास पूंजीवाद से कम्युनिज्म में क्रांतिकारी परिवर्तन को पूरा करने में न केवल रुचि ही नहीं बल्कि क्षमता भी है।

मार्क्स ने मानव समाज और उसके विकास के नियमों के अध्ययन में अपने अनूठे योगदान को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया :

> "अब जहां तक मेरी बात है, मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने आधुनिक समाज में वर्गों के अस्तित्व या उनके बीच संघर्ष की खोज की है। मुझसे बहुत पहले, बुर्जुआ इतिहासकारों ने इस वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का वर्णन किया था और बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों ने

शेष पृष्ठ 6 पर

सरकार द्वारा डाक मज़दूरों की दो यूनियनों की मान्यता रद्द :

मज़दूरों के हक़ों पर सीधा हमला

26 अप्रैल, 2023 को हिन्दोस्तान की सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने आल इंडिया पोस्टल एम्प्लाइज़ यूनियन (ए.आई.पी.ई.यू.) और नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज (एन.एफ.पी.ई.) की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किये। सरकारी आदेश के अनुसार, ए.आई.पी.ई.यू. और एन.एफ.पी.ई. की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघ की मान्यता) नियम, 1993 का उल्लंघन किया था।

सी.सी.एस. (आर.एस.ए.) क़ानून, 1993 के नियम 6 (सी) में कहा गया है कि "सेवा एसोसिएशन किसी भी राजनीतिक फंड को बनाए नहीं रखेगा या किसी राजनीतिक पार्टी या ऐसी पार्टी के सदस्य के विचारों के प्रचार के लिए खुद का समर्थन नहीं देगा"। यूनियनों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसान आंदोलन, सी.पी.आई. (एम) और सीटू को पैसा देकर इस नियम का उल्लंघन किया है।

सरकार को इस बात से कोई लेना–देना नहीं है कि एक सरकारी विभाग के मज़दूर किसान आंदोलन या लोगों के किसी अन्य आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं। सरकार का इससे भी कोई लेना–देना नहीं है कि मज़दूरों की यूनियनें सीटू, एटक, बी.एम.एस. या किसी अन्य ट्रेड यूनियन को धन का योगदान करें। सरकार का इससे कोई लेना–देना नहीं है कि मज़दूरों की कोई यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी के विचारों के प्रचार के लिए खुद का समर्थन देती है।

इस तरह के तथा अन्य मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसी भी यूनियन के सदस्यों को होना चाहिए – सरकार को नहीं।

ए.आई.पी.ई.यू. और एन.एफ.पी.ई. की मान्यता रद्द करके, सरकार मज़दूरों को अपनी पसंद की यूनियन बनाने के अधिकारों और डाक मज़दूरों के अधिकारों तथा अन्य सभी शोषितों और उत्पीड़ितों के अधिकारों के संघर्षों पर खुल्लम–खुल्ला हमला कर रही है।

सरकार ने यूनियनों की मान्यता को रद्द करने की अपनी कार्यवाही को उचित ठहराने के लिये कहा है कि (1) उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ द्वारा किसान आंदोलन को दिए जाने वाले दान के लिये 30,000 रुपये का योगदान दिया था (2) उन्होंने सीटू को 50,000 रुपये का योगदान दिया था और (3) नई दिल्ली में सी.पी.आई. (एम) बुक स्टोर से साहित्य खरीदने के लिये यूनियन के खातों से 4,935 रुपये खर्च किए गए। सरकार की इस कार्यवाही का असली मक़सद डाक मज़दूरों के बहादुर संगठनों को तोड़ना है।

पूंजीपतियों को अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को खुले तौर पर पैसे देने या इलेक्टोरल बॉन्ड देने या दोनों देने की पूरी छूट है। पूंजीपति अपने हितों को बढ़ावा देने वाली कई अन्य गतिविधियों को भी प्रायोजित करते हैं। लेकिन सरकार मज़दूरों को अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने या मज़दूरों और किसानों के जायज़ संघर्षों का समर्थन करने के अधिकार से वंचित करना चाहती है। मज़दूर यूनियनें इसे स्वीकार नहीं कर सकतीं।

ए.आई.पी.ई.यू. का गठन 1920 में हुआ था। यह हिन्दोस्तान के मज़दूरों की सबसे पुरानी यूनियनों में से एक है। एन.एफ.पी.ई. डाक मज़दूरों की एक फेडरेशन है, जिसमें ए.आई.पी.ई.यू. सहित डाक मज़दूरों की आठ यूनियनें शामिल हैं। एन.एफ.पी.ई. के सहायक महासचिव ने कहा कि, "हमारे संगठन को हर वैचारिक धारा के कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। इस संगठन का ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ आंदोलन करने का इतिहास रहा है। अब मान्यता रद्द करने का यह प्रयास डाक विभाग की सभी ट्रेड यूनियन गतिविधियों को समाप्त करना है।" उन्होंने बताया कि पिछली बार जब 2014 में डाक मज़दूरों से जनमत संग्रह करवाया गया था, तब 4.5 लाख डाक मज़दूरों में से 75 प्रतिशत ने एन.एफ.पी.ई. को वोट दिया था। अगला जनमत संग्रह 2024 में होना है।

निजीकरण के ख़िलाफ़ डाक मज़दूरों और सरकारी कर्मचारियों के संघर्षों और मज़दूरों के अधिकारों की लड़ाइयों में एन.एफ.पी.ई. सबसे आगे रहा है। हाल ही में एन.एफ.पी.ई. ने डाक सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़ और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया था। सरकार डाक मज़दूरों के बहादुर संगठनों को कमज़ोर करना और तोड़ना चाहती है। सरकार द्वारा एन.एफ.पी.ई. और ए.आई.पी.ई.यू. की मान्यता रद्द करने के पीछे यही कारण है।

पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से यूनियनों की "मान्यता" को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया है। इससे यूनियनों के नेताओं को विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं और बदले में मज़दूरों के संघर्षों को स्वीकार्य दायरे में रखा जा सकता है। यूनियन की मान्यता को रद्द करने के ख़तरे को दिखाकर यूनियनों के नेतृत्व को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती। ऐसी सीख अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों और सरकारी कर्मचारियों ने जीवन के अनुभव से पाई है। इसलिए, ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों को पार्टी और यूनियन संबद्धता से ऊपर उठकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डाक मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23456

एयर इंडिया के पायलटों ने काम करने की नई परिस्थितियों का विरोध किया

एयर इंडिया के पायलटों की दो यूनियनों – इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आई.सी.पी.ए.) और इंडियन पायलट्स गिल्ड (आई.पी.जी.) ने नए वेतन ढांचे का और टाटा समूह के प्रबंधन द्वारा उन पर थोपे जा रहे काम के नियमों व शर्तों का विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नए कार्य–अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, उन्हें मजबूर किया जाता है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने इस अनुबंध को 'क्रूर' करार दिया है।

17 अप्रैल को एयर इंडिया के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार के ज़रिये सूचित करके, पायलटों के वेतन, काम के नियमों और शर्तों में संशोधन के बारे में बताया था, जो अप्रैल 2023 से लागू होगा। नये नियमों, काम की शर्तों तथा नये वेतन ढांचे के अनुबंध के पत्र को पायलटों और केबिन–क्रू को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था।

प्रबंधन ने नई शर्तों को लेकर पायलटों की यूनियनों के साथ कोई गंभीर चर्चा या बातचीत नहीं की थी। पायलटों के अनुसार, कर्मचारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी जिसका आयोजन प्रबंधन ने नए

एयर इंडिया के निजीकरण के ख़िलाफ़ एक मीटिंग को संबोधित करते हुए एक पायलट (फाइल फोटो, 2021)

नियमों और शर्तों की घोषणा करने के लिए किया था। यह प्रबंधन द्वारा किया गया "एकतरफा संवाद" था। प्रबंधन ने बड़े–बड़े दावे किए कि कैसे ये नई शर्तें पायलटों के लाभ के लिए हैं। लेकिन वर्चुअल चैट में पोस्ट किए गए स्पष्ट और प्रासंगिक सवालों के सीधा–सीधा जवाब किसी ने भी नहीं दिया।

आई.सी.पी.ए. और आई.पी.जी. दोनों मिलकर एयर इंडिया के लगभग 1,700 पायलटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एयर इंडिया के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी को 19 अप्रैल को भेजे गये एक संयुक्त पत्र में उन्होंने कहा है कि "... नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य नहीं हैं और हम इस उपहास का मुक़ाबला, हमारे पास उपलब्ध सभी तरीक़ों से करेंगे। हमारे सदस्य पायलट नौकरी और भत्तों की इन एकतरफ़ा संशोधित शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।" इसके अलावा, पत्र में कहा गया है कि : "इन क्रूर शर्तों और भत्तों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, हमारे सदस्य पायलटों के ख़िलाफ़ कंपनी द्वारा उठाये गये किसी भी कठोर क़दम या उत्पीड़न से औद्योगिक अशांति पैदा होगी।"

पायलटों ने पत्र में यह भी कहा है कि "...एयर इंडिया की सेवा शर्तों में कोई भी बदलाव औद्योगिक क़ानून की रूपरेखा के अनुसार किया जाना चाहिए ... एकतरफ़ा रूप से सेवा शर्तों को बदलने और हमारी सदस्यता पर नए नियमों और शर्तों को थोपने की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। शेयर ख़रीदने के समझौते में एकतरफा बदलाव भी उतना ही अनैतिक और अवैध है, जितना कि छुट्टी और छुट्टी के नकदीकरण को नियंत्रित करने वाली शर्तों में एकतरफा बदलाव।"

एयर इंडिया में टाटा समूह के नए प्रबंधन ने इसके जवाब में कहा है कि एयर इंडिया में कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। उसने आई.सी.पी.ए. और आई.पी.जी. को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। उसने यूनियनों के पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

शेष पृष्ठ 5 पर

कोरियाई प्रायद्वीप में अमरीकी सैन्य अभ्यास :

अमरीका ने एशिया में युद्ध की तैयारी को तेज़ किया

कोरियाई प्रायद्वीप में अमरीका और दक्षिण कोरिया के सशस्त्र बलों को शामिल करते हुए एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास जल, थल और हवा में किए जा रहे हैं। इन अभ्यासों का लक्ष्य उत्तर कोरिया है, जिसे डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डी.पी.आर.के.) के नाम से भी जाना जाता है। इस साल के मार्च और अप्रैल में किये गये ये अभ्यास पिछले कई वर्षों के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक है।

साल दर साल सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दक्षिण कोरिया की रक्षा करना बताया जाता रहा है। इस साल यह दिखावा भी त्याग दिया गया है। खुली घोषणाएं की गई हैं कि उनका उद्देश्य डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डी.पी.आर.के.) के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना, उसकी राजधानी प्योंगयांग पर क़ब्ज़ा करना, डी.पी.आर.के. की सरकार को उखाड़ फेंकना और शासन परिवर्तन करना है।

अमरीका अपने परमाणु रणनीतिक बमवर्षकों, स्टेल्थ लड़ाकू विमानों और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल करके एक बेहद ख़तरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। वर्तमान युद्ध अभ्यास इस प्रकार किया जा रहा है जैसे कि अमरीका द्वारा डी.पी.आर.के. पर एक चौतरफा आक्रमण किया जा रहा हो। रिपोर्टों के अनुसार, अमरीका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने सहयोगियों की विशेष युद्ध इकाइयों के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में अपने सैन्य बलों को मजबूत किया है। अमरीका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया है।

जंग की तैयारी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया के लोग (मार्च 2023)

अमरीका ने घोषणा की है कि वर्तमान युद्ध अभ्यास को जून 2023 में अब तक का सबसे बड़ा "संयुक्त गोलाबारी विनाश अभ्यास" करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

अमरीकी साम्राज्यवाद वैश्विक मीडिया पर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके डी.पी.आर.के. की सरकार को कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध के स्रोत के रूप में चित्रित करता रहा है। यह प्रचार इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं और उनका परीक्षण करता है। यह प्रचार इस तथ्य पर परदा डालता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद के पास घातक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है, जो दुनिया के बड़े हिस्से में बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम है। यह प्रचार इस तथ्य को भी छुपाता है कि अमरीका पिछले 70 वर्षों से डी.पी.आर.के. को परमाणु विनाश की धमकी देता आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, उत्तर कोरिया को अमरीकी साम्राज्यवाद से अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए अपने खुद के परमाणु हथियारों को विकसित करने का पूरा अधिकार है।

कोरियाई लोग इतिहास के सबकों को नहीं भूले हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अपने देश को जापानी क़ब्ज़ाकारी ताक़तों से मुक्त कराया था। हालांकि, अमरीकी साम्राज्यवाद नहीं चाहता था कि कोरियाई लोग अपना भविष्य खुद तय करें। जिसकी वजह से 1950 में कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई। 1953 तक चले इस युद्ध में, अमरीकी साम्राज्यवादियों और उसके सहयोगियों ने कोरियाई लोगों के ख़िलाफ़ अनगिनत अपराध किए। तीस लाख से अधिक लोग मारे गए और देश का विभाजन हुआ, अमरीका ने दक्षिण कोरिया पर सैन्य क़ब्ज़ा कर लिया और वहां एक कठपुतली सत्ता स्थापित कर दी। अनुमान लगाया गया है अमरीका के 28,000 सैनिक अभी भी कोरियाई धरती पर तैनात हैं। कोरियाई राष्ट्र आज तक विभाजित है। कोरियाई युद्ध की समाप्ति के सत्तर साल बाद भी अमरीका ने डी.पी.आर.के. के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दोनों देशों के कोरियाई लोग अपने देश के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ अमरीका द्वारा आयोजित सैन्य उकसाहटों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमरीकी साम्राज्यवादी और उसके सहयोगी कोरिया के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के ख़िलाफ़ हैं। अगर कोरियाई प्रायद्वीप में दोनों देशों का पुनः एकीकरण हो जायेगा तो अमरीकी साम्राज्यवाद के लिए अपने सशस्त्र बलों को लगातार तैनात रखने की सफ़ाई देना मुश्किल हो जायेगा। अमरीकी साम्राज्यवाद दक्षिण कोरिया और जापान में स्थित अपने सैनिक अड्डों का इस्तेमाल उत्तर कोरिया को निशाना बनाने के लिये और पूर्व से चीन को घेरने के लिए करना चाहता है।

अमरीका द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप का बढ़ता सैन्यीकरण एशिया में उसकी युद्ध की तैयारियों का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य है पूरे एशिया और दुनिया पर अपना निर्विवाद प्रभुत्व सुनिश्चित करना। यह शांति के लिए गंभीर ख़तरा है। कोरियाई प्रायद्वीप में और पूरी दुनिया में अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध की तैयारियों का सभी शांतिप्रिय लोगों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23482

एयर इंडिया के पायलट ...

पृष्ठ 4 का शेष

पायलट नए नियमों व शर्तों का विरोध क्यों कर रहे हैं?

इस नये अनुबंध में 40 घंटे की उड़ान समय के लिए एक निश्चित वेतन की पेशकश की गई है। जबकि यह पहले के 70 घंटे की उड़ान के समय में कटौती है, जिसके लिये महामारी से पहले वेतन मिलता था। नई शर्तों से एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया के 3,000 पायलट प्रभावित होने वाले हैं।

पायलटों का कहना है कि जब भी कोई पायलट छुट्टी पर होगा या प्रशिक्षण आवश्यकताओं और लाइसेंस के नवीनीकरण के कारण ड्यूटी पर नहीं आ सकेगा, तो इन सबके लिये उसके वेतन में कटौती की जायेगी।

पायलटों ने अनुबंध में दिये गये एक अनुच्छेद का भी विरोध किया है, जिसके मुताबिक पायलटों का 'मज़दूर' का दर्ज़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पायलटों को अपनी यूनियन बनाने, अपनी मांगों को उठाने या प्रबंधन की नीतियों का विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने से रोक दिया जाएगा।

पायलट नए अनुबंध में इस शर्त का विरोध कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर

अपने अधिकारों की रक्षा में एयर इंडिया पायलटों का धरना (फाइल फोटो, 2012)

पायलटों को 'स्टेंडबाय ड्यूटी' के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा। विमान कंपनी का प्रबंधन अब पायलटों को एक निश्चित समय सारणी (रोस्टर) नहीं देगा। जिसके बिना वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यवस्थित नहीं कर पायेंगे। विमान कंपनी के प्रबंधन ने कहा कि "पायलटों से उम्मीद की जाती है कि वे 'कारोबार की ज़रूरत' के लिये, अब सातों दिन, चौबिसों घंटे बुलावे पर रहेंगे, यानी कि प्रभावी रूप से स्थायी स्टेंडबाय ड्यूटी पर रहेंगे।" उन्हें लगता है कि इस तरह की नीति से उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि पायलट पहले से ही अपने उड़ान कार्यक्रम में दैनिक और प्रति घंटा परिवर्तन की वजह से और साथ ही साथ तत्काल आवश्यकता पड़ने पर भी छुट्टी देने से इनकार किये जाने के कारण बहुत तनाव में हैं। पायलटों का कहना है कि नया प्रबंधन इसे नया मानक बनाना चाहता है।

टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था और हाल ही में उसने अपने बेड़े और नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजनाओं की घोषणा की है। उसने दावा किया है कि वह घाटे में चल रही कंपनी को मुनाफ़े में बदल देगा। उसने कप्तानों और प्रशिक्षकों सहित 1,000 से अधिक पायलटों को नियुक्त करने की घोषणा की है। उस विमान कंपनी ने जिसके पास वर्तमान में 1,800 से अधिक पायलट हैं। उसने बोइंग और एयरबस के साथ 470 विमानों की ख़रीद के ऑर्डर दिए हैं जिसमें चौड़े आकार के विमान भी शामिल हैं।

जाहिर है कि पायलटों और अन्य कर्मचारियों के शोषण को काफी हद तक बढ़ाकर टाटा समूह के मुनाफ़े को बढ़ाया जायेगा।

http://hindi.cgpi.org/23461

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : www.hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी** : www.cgpi.org, **मराठी** : www.hindi.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org, **तामिल** : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

किसानों ने बड़े पूंजीपतियों और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को तेज़ किया

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में तीन केंद्रीय कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बारे में यह अंदाजा लगाया था कि इससे किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। फिर भी, किसानों ने अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखी है। उनके संघर्ष ने विभिन्न रूप धारण किए हैं जो हर राज्य और जिला स्तर पर चल रहे हैं।

30 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) की राष्ट्रीय बैठक में देशभर के किसानों की यूनियनों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में आने वाले महीनों में संघर्ष को तेज़ करने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 से 31 मई तक सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। इनके ज़रिये प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिनमें शामिल हैं :

- सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला क़ानून
- क़र्ज़ माफ़ी
- किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन
- व्यापक फ़सल बीमा योजना लागू करना
- लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के लिए ज़िम्मेदार केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ़्तारी
- किसानों के ख़िलाफ़ झूठे मुक़दमे वापस लें
- आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवज़ा देना

बैठक में निर्णय लिया गया कि किसान संगठन सभी सांसदों को उनके

निर्वाचन क्षेत्रों में ज्ञापन सौंपेंगे, कि मई से जुलाई के महीनों के बीच पूरे देश में राज्य और जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, ताकि और ज़्यादा लोगों को लामबन्ध किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष में और मज़दूरों व किसानों के हितों की बलि चढ़ाने वाली केंद्र सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़, 1–15 अगस्त के बीच मज़दूर और किसान यूनियनों का संयुक्त रूप से लोगों को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा।

एस.के.एम. की राष्ट्रीय बैठक ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सितंबर और नवंबर के बीच पूरे देश में सर्व हिन्द यात्राएं आयोजित करने का फ़ैसला किया, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीन अक्तूबर, जिस दिन लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई थी, उस दिन पूरे देश में शहीदी दिवस आयोजित किया जाएगा। 26 नवंबर को सर्व हिन्द विजय दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 दिनों के लिए दिन–रात के धरने आयोजित किए जाएंगे।

एस.के.एम. की राष्ट्रीय बैठक में निम्नलिखित संकल्प लिए गए :

(क) डब्ल्यू.एफ.आई. अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर जंतर–मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों का समर्थन;

(ख) किसान आंदोलन और एस.के.एम. के दृढ़ समर्थक रहे पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक के ख़िलाफ़ सी.बी.आई. जैसी केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की निंदा;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को समर्थन देने और योगदान देने के लिए, हिन्दोस्तान के डाक मज़दूरों की सबसे पुरानी यूनियनों – नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन – की मान्यता रद्द करने की निंदा, और

(घ) डाक मज़दूरों की यूनियनों के साथ एकजुटता व्यक्त करना।

हमारे देश में मज़दूरों और किसानों के लिए आगे का रास्ता है बड़े पूंजीपतियों और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ अपनी संघर्षरत एकता को मजबूत करने का रास्ता।

जीवन का अनुभव दिखाता है कि हमारी मांगें तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक पूंजीपति वर्ग राज्य तंत्र और सरकार के सभी फ़ैसलों पर नियंत्रण रखेगा। अपनी तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष करने के सिलसिले में, हम मज़दूरों और किसानों को एक ऐसी राजनीतिक ताक़त बनना होगा जो पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाने और हिन्दोस्तान की बागडोर को अपने हाथों में लेने में सक्षम हो।

मज़दूरों और किसानों की सत्ता कृषि और पूरे समाज को संकट से उबारने का रास्ता खोलेगी। मज़दूरों और किसानों की सरकार कृषि की लागत वस्तुओं की विश्वसनीय आपूर्ति, उनके वास्तविक मूल्यों पर करेगी और सभी कृषि उत्पादों की लाभकारी क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद की गारंटी देगी। यह सार्वजनिक ख़रीद प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ेगी, जो सभी के लिए उचित क़ीमतों पर उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त होगी।

http://hindi.cgpi.org/23487

मणिपुर में हुई हिंसा के लिए कौन ज़िम्मेदार है?

पृष्ठ 1 का शेष

सभी तबके पिछले चार दशकों से अधिक समय से सेना के शासन को समाप्त करने और आफ्स्पा को निरस्त करने के लिए एक बहादुर संघर्ष कर रहे हैं।

मणिपुर में शासक वर्ग द्वारा फैलाई गई अराजकता और हिंसा दर्शाती है कि वह शासन करने के योग्य नहीं है। लोगों के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करना तो दूर, वह लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने में भी असमर्थ और अनिच्छुक है।

हिन्दोस्तानी राज्य की नींव ही सांप्रदायिक है। सरमायदार राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, जाति और हर प्रकार के आधार पर लोगों के बीच विभाजन को बढ़ाकर शासन करता है। शासक वर्ग की सभी राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक विभाजनों को तेज़ करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भाग लेती हैं। मणिपुर के लोगों के साथ–साथ देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका कड़वा अनुभव है।

मणिपुर के लोगों के सामने समस्या है हमारे देश में पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। हमारे देश पर शासन करने वाला सरमायदार वर्ग मणिपुर और शेष हिन्दोस्तान के लोगों की भूमि, श्रम और संसाधनों का बर्बरतापूर्वक शोषण करता है। वह बहुपार्टीवादी लोकतंत्रवादी राजनीतिक प्रणाली के ज़रिये अपने दमनकारी शासन को लोगों पर बनाए रखता है। वह समय–समय पर चुनाव आयोजित करता है, जिनके ज़रिये मज़दूरों, किसानों और व्यापक जनता पर अपनी हुक्मशाही को वैधता दिलाता है।

समय–समय पर होने वाले चुनावों के साथ–साथ, पूंजीपति लोगों को बांटने और भटकाए रखने के लिए इस या उस समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर, राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहारों सहित राजकीय आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

हिन्दोस्तान का शासक वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि मणिपुर के लोग पिछड़े हैं और सांप्रदायिक आधार पर एक दूसरे का जनसंहार करना चाहते हैं। यह सच्चाई को बिलकुल उल्टा करके पेश करना है। मणिपुर के लोगों का अपने अधिकारों के लिए और शोषण व दमन के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह शासक वर्ग ही है जो सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित करता है और फिर अपनी सशस्त्र सेना को लोगों पर अत्याचार करने और आतंकित करने के लिए भेजता है। हिन्दोस्तानी शासक वर्ग और उसका राज्य पूरे हिन्दोस्तान में यही करता रहा है।

हमारे देश में चल रहा संघर्ष, एक तरफ़ इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व में सत्ताधारी सरमायदार वर्ग और दूसरी तरफ़ मज़दूरों, किसानों और आदिवासियों के बीच का संघर्ष है। यह विभिन्न समुदायों के बीच का संघर्ष नहीं है, जैसा कि शासक वर्ग झूठा प्रचार करता है।

हमारे देश के मज़दूरों, किसानों और आदिवासियों को अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। पूंजीपतियों के शासन को मज़दूर–किसान के राज में बदलने और हिन्दोस्तान का नव–निर्माण करने के लक्ष्य के इर्द–गिर्द हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेकर ही हम इस पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए बनाई गयी वर्तमान अर्थव्यवस्था को पूरे समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की एक नयी दिशा दे सकेंगे। अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता लेकर हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जो वास्तव में सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/23507

कार्ल मार्क्स की 205वीं सालगिरह पर

पृष्ठ 3 का शेष

इस वर्ग संघर्ष के आर्थिक आधार की व्याख्या की थी। मैंने जो नया किया वह यह साबित करना था : (1) कि वर्गों का अस्तित्व, उत्पादन के विकास में कुछ विशेष ऐतिहासिक चरणों से बंधा हुआ है, (2) कि वर्ग संघर्ष का अवश्यंभावी परिणाम, श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व वाली सत्ता है, और (3) कि यह अधिनायकत्व, सभी वर्गों के उन्मूलन और एक वर्गविहीन समाज की स्थापना के रस्ते में एक क़दम से ज्यादा और कुछ नहीं है।

मार्क्स के जीवनकाल में उनके बारे में सबसे ज्यादा झूठ बोला गया था। अनेक सरकारों ने उन्हें अपने देशों से निर्वासित कर दिया। पूंजीपतियों ने उन पर अपशब्दों के ढेर लगा दिये। लेकिन श्रमजीवी वर्ग और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, उनका जीवन और कार्य, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और कम्युनिज़्म की शुरूआत करने के संघर्ष में हमेशा एक मिसाल और प्रेरणा का एक स्रोत बना रहेगा। उनका नाम और उनका काम भी युगों–युगों तक क़ायम रहेगा।

http://hindi.cgpi.org/23448

दुनियाभर में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे मज़दूरों को लाल सलाम!

मई दिवस के अवसर पर दुनियाभर के मज़दूरों ने रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया

पूंजीपतियों और सरकारों द्वारा मज़दूरों के अधिकारों पर किये जा रहे हमलों के ख़िलाफ़ दुनियाभर के मज़दूरों ने विशाल रैलियां आयोजित कीं। इस साल मई दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में दुनिया के कई देशों में लाखों मज़दूरों ने भागीदारी की। कई देशों में रैलियों को रोकने और मज़दूरों को घरों में रोके रखने के प्रयास किये गये। लेकिन मज़दूरों को रोकने के लिये की गई तमाम कोशिशों के बावजूद, मज़दूर सड़कों पर उतरे और विरोध करने के अपने अधिकार की रक्षा की।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया के विभिन्न शहरों में हुई रैलियों में लगभग एक लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मई दिवस पर विशाल रैलियों का आयोजन किया गया और 1 मई से काफी पहले ही इनकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई दो बड़ी रैलियों में

दक्षिण कोरिया

लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया। हड़ताली मज़दूरों ने बढ़ती महंगाई को ख़त्म करने और काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की। रैली में शामिल एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने कहा, "हमारे वेतन को छोड़कर हर चीज की क़ीमत बढ़ गई है। हमारी न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाओ! हमारे काम के घंटे कम करो!"

जापान

जापान की राजधानी टोक्यो के योयोगी पार्क में हजारों की संख्या में मज़दूर और नौजवान इकट्ठा हुए। मज़दूरों ने महंगाई के कारण बढ़ते आर्थिक बोझ की भरपाई के लिए अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की है। वे अभी भी महामारी के वित्तीय दबावों से जूझ रहे हैं। सैन्य विस्तार में प्रमुखता से किये जा रहे निवेश के बदले में, लगाये गये टैक्स की वजह से लोगों पर आर्थिक बोझ को बढ़ाने के लिए मज़दूरों ने सरकार की आलोचना की।

ताइवान

रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की बढ़ती क़ीमतों का सामना करने के लिए, बेहतर मज़दूरी की मांग को लेकर राजधानी ताइपे शहर के केटागलन बुलेवार्ड में हजारों मज़दूर एकजुट हुए। कई अलग–अलग संगठनों के मज़दूर और कार्यकर्ता अपने अधिकारों की मांगों को लेकर एकजुट हुये, इस रैली में बहुत सारे चिकित्साकर्मी भी शामिल हुए।

ताइवान

इंडोनेशिया

तक़रीबन 50,000 मज़दूरों ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मई दिवस के जुलूस में भाग लिया। यह जुलूस कंफडरेशन ऑफ इंडोनेशियन ट्रेड यूनियंस द्वारा आयोजित किया गया था, जो मज़दूरों की 32 यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता है। मज़दूरों ने हाल ही में सरकार

लेबानान

द्वारा प्रस्तावित किये गये रोज़गार सृजन क़ानून को निरस्त करने की मांग की है, जो मज़दूरों और पर्यावरण की क़ीमत पर केवल व्यवसायों को ही लाभ पहुंचायेगा। उन्होंने मानव तस्करी और नौकरी की आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए पर्याप्त क़दम नहीं उठाने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विदेशों में काम कर रहे इंडोनेशियाई मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा की जाये। जकार्ता के अलावा, बांडुंग, योग्याकार्ता, सुरबाया और इंडोनेशिया के कई अन्य शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया।

लेबनान

लेबनान के बेरूत शहर में, सैकड़ों मज़दूरों और ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने मई दिवस पर रैलियों का आयोजन किया। इन रैलियों में प्रवासी मज़दूरों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महंगाई के लगातार बढ़ते बोझ से निपटने के लिए उन्होंने सरकार से मुआवज़े की मांग की। लेबनान में बढ़ते आर्थिक संकट ने तीन चौथाई आबादी को ग़रीबी में धकेल दिया है। मज़दूर अपने वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर पिछले एक साल से संघर्ष कर रहे हैं।

फ्रांस

फ्रांस में पेंशन सुधारों के ज़रिये सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया गया है। फ्रांस के

नॉन्ट, फ्रांस

विभिन्न हिस्सों में इन सुधारों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए, जिनमें हजारों मज़दूर सड़कों पर उतरे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश में 300 से अधिक हड़तालें हुई हैं, जिनमें लगभग 1.3 लाख लोगों ने भाग लिया है।

स्पेन

स्पेन में हजारों मज़दूरों ने मई दिवस की रैलियों में भाग लिया और बढ़ती महंगाई के अनुसार अपने औसत वेतन में वृद्धि की मांग की। देश के अलग–अलग हिस्सों में क़रीब 70 विरोध प्रदर्शन हुए। यूरोपीय संघ के मज़दूरों के औसत वेतन की तुलना में स्पेन में मज़दूरी सबसे कम है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की बढ़ती क़ीमतों की वजह से लोगों को अपने जीवन–यापन का प्रबंधन करना बहुत कठिन हो गया है। मज़दूरों ने मांग की है कि "महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क़दम उठाओ और मज़दूरों के सभी तबकों के वेतनों में वृद्धि करो"।

पाकिस्तान

मई दिवस पर सुरक्षा कारणों का बहाना देते हुये, पाकिस्तान में सभी रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। मज़दूरों को मई दिवस पर किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद मज़दूरों ने बड़ी–बड़ी हाल मीटिंगें आयोजित कीं। उन्होंने मज़दूरों की वर्तमान स्थिति और देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। इन मीटिंगों में मज़दूरों के विभिन्न संगठनों और ट्रेड यूनियनों के मज़दूरों तथा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

जर्मनी

1 मई को जर्मन ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन (डी.जी.बी) द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो जर्मनी के कोब्लेंज में आठ ट्रेड यूनियनों के लगभग छह लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला महासंघ है। रैली में हवाई, रेल और सड़क परिवहन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और नगरपालिका सफ़ाई सेवाओं के मज़दूरों ने हिस्सा लिया। इस साल की शुरुआत से ही जर्मनी के मज़दूर वेतन और काम की परिस्थितियों को लेकर कई हड़तालों में भाग लेते आ रहे हैं। पिछले एक साल में

जकार्ता, इंडोनेशिया

हुये बड़े विरोध प्रदर्शनों में लोक सेवा मज़दूर सामने आए हैं। जर्मनी के विभिन्न हिस्सों में लगभग 398 कार्यक्रम आयोजित किए गए, अनुमान लगया जा रहा है कि उन कार्यक्रमों में 3 लाख लोगों ने भाग लिया।

इटली

इटली के कई शहरों में मई दिवस के अवसर पर प्रदर्शन हुए। वेतन में वृद्धि और देश की कर नीतियों में सुधार की मांग को लेकर मज़दूरों ने रोम शहर में हुये विरोध प्रदर्शनों में सक्रियता से भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को ख़त्म करने के नारे भी लगाए।

नीदरलैंड

अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की बढ़ती क़ीमतों की भरपाई के लिए वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर पूरे नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार द्वारा साल की शुरुआत में मज़दूरों को 3–7 प्रतिशत की वेतन वृद्धि और अगले वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की वृद्धि की पेशकश की गई थी। लेकिन मज़दूरों ने उस प्रस्तावित वेतन वृद्धि को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उससे बढ़ती महंगाई की भरपाई नहीं होगी और इसलिए उनके वास्तविक वेतन में भी कोई वृद्धि नहीं होगी।

लाहौर, पाकिस्तान

श्रीलंका

श्रीलंका इस समय सबसे ख़राब आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। सरकारी मालिकी वाले सभी क्षेत्रों का निजीकरण करने के लिए सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मज़दूर काफी समय से इसका विरोध कर रहे हैं।

शेष पृष्ठ 9 पर

शोषण और दमन से मुक्त समाज बनाने के लिए संघर्ष को तेज़ करें!

मई दिवस पर मज़दूर एकता कमेटी का बयान, 20 अप्रैल, 2023

1 मई, 2023, मई दिवस पर दुनियाभर के मज़दूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में शहीद हुए अपने सभी साथियों को याद करेंगे। वे जुझारू प्रदर्शनों के ज़रिए अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। रैलियों में निकलकर, एक बार फिर पूंजीवादी शोषण और दमन से मुक्ति हासिल करने के अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प जाहिर करेंगे। साथ ही साथ, यह निश्चय करेंगे कि पूंजीवादी शोषण और दमन के वर्तमान समाज का विकल्प कैसे लाया जाये।

आज दुनिया के हर देश में मज़दूर बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वे सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन के लिए, सुरक्षित रोज़गार के लिये, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के विरोध में, सड़कों पर निकल रहे हैं। वे पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़, राष्ट्रों के दमन, साम्प्रदायिक हिंसा, नस्लवाद और साम्राज्यवादी जंग के ख़िलाफ़, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों के लिए तथा एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मज़दूर–किसान को अपने श्रम का फल मिले।

पूंजीवादी हुक्मरानों के निजीकरण के अजेंडे के विरोध में रेलवे, सड़क परिवहन, कोयला, पेट्रोलियम और रक्षा क्षेत्र, बिजली उत्पादन और वितरण, बैंकिंग और बीमा, आदि के मज़दूर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, बिजली, पानी, दूरसंचार, परिवहन सेवा – इन सभी सेवाओं को पूंजीपतियों के मुनाफ़े का स्रोत बनाया जा रहा है। मज़दूर इसका विरोध कर रहे हैं और इन सभी सेवाओं को अधिकार बतौर मुहैया कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूर एकता कमेटी उन सभी मज़दूरों को सलाम करती है, जो पूंजीपति वर्ग के निजीकरण के कार्यक्रम को चुनौती दे रहे हैं।

पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों के शोषण को और आसान करने के लिए, सरकार ने 44 श्रम क़ानूनों को सरल बनाने के नाम पर, 4 लेबर कोड को घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ अधिकार अलग–अलग क्षेत्रों के मज़दूरों ने संघर्ष करके हासिल किये थे, उन्हें भी वापस लिया जायेगा। 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम अब नियम बन जायेगा। महिला मज़दूरों को बिना किसी सुरक्षा की गारंटी के, रात की पाली में काम करने को मजबूर किया जायेगा। अपना ट्रेड यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ना अधिकतम मज़दूरों के लिये बहुत मुश्किल हो जायेगा।

हम मज़दूर और किसान समाज की अधिकतम आबादी हैं। हम देश की दौलत को पैदा करते हैं परन्तु हुक्मरान पूंजीपति वर्ग हमारे श्रम का फल हड़प लेता है। पूंजीपतियों की अमीरी बढ़ती रहती है जबकि हमारी हालत बद से बदतर होती जाती है। इसे बदलना होगा। पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाना होगा। देश की दौलत पैदा करने वालों को देश का मालिक बनना होगा।

किसान अपनी फ़सलों के लिये सरकारी ख़रीदी की गारंटी और लाभकारी दाम की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आये हैं। मज़दूर एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसमें सभी मेहनतकश लोगों को सस्ते दामों पर पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो सकें। ये मज़दूरों और किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगें हैं।

मज़दूरों और किसानों के तमाम संघर्षों के बावजूद, ये मांगें पूरी क्यों नहीं होती हैं? बड़े–बड़े पूंजीवादी घरानों – टाटा, बिरला, अम्बानी, अदानी, आदि – की दौलत क्यों बढ़ती रहती है? मज़दूरों–किसानों की हालत क्यों बिगड़ती रहती है? इसकी वजह है अधिक से अधिक मुनाफ़ा हड़पने की इजारेदार पूंजीपतियों की लालच, जो इन मांगों को पूरा होने से रोक देती है। इजारेदार पूंजीपति हर क्षेत्र में मज़दूरों के शोषण और किसानों की लूट को खूब तेज़ करके, जल्दी से जल्दी, खुद को और अमीर बना रहे हैं। पूंजीपति वर्ग ही हिन्दोस्तान का असली हुक्मरान है। उसकी अगुवाई बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने करते हैं। पूंजीपति वर्ग की सेवा हिन्दोस्तानी राज्य करता है। राज्य यह सुनिश्चित करता है कि पूंजीपति वर्ग का अजेंडा ही हमेशा लागू होता रहे, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो।

देश के लोगों की सभी समस्याओं का स्रोत पूंजीवादी व्यवस्था है। हिन्दोस्तानी राज्य के सभी संस्थान – सरकार संभालने वाली राजनीतिक पार्टी और उसका मंत्रीमंडल, उसके साथ–साथ संसदीय विपक्ष, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, न्यूज मीडिया – ये सब मज़दूरों और किसानों पर पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही को क़ायम रखने के साधन हैं।

'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' कहलाये जाने वाले इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया क़ायम है, उसके ज़रिये यह सुनिश्चित किया जाता है कि मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकश लोगों को हमेशा ही सत्ता से बाहर रखा जायेगा। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी की सरकार बनती है। उसी पार्टी का मंत्रीमंडल बनता है। उसी मंत्रीमंडल के हाथों में हमारे जीवन पर असर डालने वाले हर फ़ैसले को लेने की शक्ति होती है। लोगों के पास चुनाव में अपने उम्मीदवारों का चयन करने का कोई साधन नहीं है। चुने गए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने या उन्हें वापस बुलाने का कोई साधन नहीं है। हम मज़दूर–मेहनतकश न तो क़ानून बना सकते हैं और न ही मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी क़ानूनों को बदल सकते हैं।

यह भ्रम फैलाया जाता है कि चुनावों में मतदान करके लोग अपनी पसंद की सरकार को चुनते हैं। यह बहुत बड़ा धोखा है। हक़ीक़त तो यह है कि पूंजीपति करोड़ों–करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी भरोसेमंद राजनीतिक पार्टियों में से उस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं, जो उनके एजेंडे को सबसे बेहतर तरीक़े से लागू करेगी। सरकार उसी पार्टी की बनायी जाती है जो सबसे ज्यादा चतुराई से, पूंजीपतियों के अजेंडे को "लोकहित" में बताकर, लोगों को बुद्धू बना सकती है।

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद हुक्मरानों का पसंदीदा हथकंडा है। इस हथकंडे का इस्तेमाल करके वे बार–बार मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ते हैं। हमारे संघर्षों को कमजोर करते हैं। हमारी एकता को तोड़ने की हुक्मरानों की सभी कोशिशों से हमें चौकन्ने रहना होगा।

आज हमारे संघर्ष के सामने एक बड़ी रुकावट उन ताक़तों से है, जो इस भ्रम को फैलाने में लगे हुए हैं कि हिन्दोस्तान का लोकतंत्र और संविधान एकदम ठीक हैं, कि समस्या सिर्फ कुछ ग़लत और भ्रष्ट

शेष 11 पृष्ठ पर

लंदन में मई दिवस की उत्साहपूर्ण रैली का आयोजन किया गया

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन) के संवाददाता की रिपोर्ट

मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग दिवस को ब्रिटेन के लंदन में मज़दूर संगठनों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मार्क्स मेमोरियल लाइब्रेरी के पास क्लेरकेनवेल ग्रीन से ट्राफलगर स्क्वायर तक दस हजार से अधिक लोगों ने एक जुलूस में निकाला।

मज़दूरों और मेहनतकश लोगों के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों ने इस संयुक्त जुलूस का नेतृत्व किया। विभिन्न राष्ट्रीय–अल्पसंख्यकों के मज़दूर वर्ग के संगठनों ने इस जुलूस में ज़ोरदार तरीक़े से भाग लिया। मई दिवस की यह रैली – साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी युद्धों, जातिवाद और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ मज़दूरों की बढ़ती एकता का प्रतीक थी।

रेलवे मज़दूरों की यूनियन आर.एम.टी., कम्युनिकेशंस वर्कर्स यूनियन, पब्लिक एंड कमर्शियल सर्विसेज, टीचर्स एंड लेक्चरर्स यूनियनों की ट्रेड यूनियनों ने शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.एस.), परिवहन एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण

और जीवन–यापन की बढ़ती लागत का विरोध किया। वह रैली जुझारू बैनरों और जोशपूर्ण गीत–संगीत और जुझारू नारों से भरी हुई थी जो गर्व और हर्षोल्लास का माहौल बना रही थी। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन) ने भी इजारेदार पूंजीपति वर्ग द्वारा जारी शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष छेड़ने वाले दुनिया के सभी मज़दूरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिये इस रैली में हिस्सा लिया।

दुनियाभर के इजारेदार पूंजीपति, मेहनतकश लोगों के कंधों पर जीवन यापन के संकट को लाद रहे हैं। पूंजीपति अपने बेशुमार मुनाफ़ों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि नौकरी वाले लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वे अपने परिवार का पेट भरने के लिए फूड बैंक या ख़ैराती संस्थाओं की शरण में जायें। वर्तमान व्यवस्था मेहनतकश लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित नहीं है बल्कि मेहनतकश लोगों के विशाल बहुमत को बर्बाद करके केवल कुछ लोगों को और भी अमीर बना रही है।

एक छोटे अल्पसंख्यक शासक वर्ग के मुनाफ़े की गारंटी देने वाली वर्तमान व्यवस्था को बदलकर पूरे समाज के कल्याण के लिए संचालित एक वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित करने की सख़्त ज़रूरत है। इजारेदार पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सभी संगठनों को इस वैकल्पिक व्यवस्था को बनाने के लिए संघर्ष में अपनी एकता को मजबूत करने की ज़रूरत है जिसमें अर्थव्यवस्था, मेहनतकश लोगों द्वारा पैदा की गयी धन संपत्ति का इस्तेमाल बहुसंख्य लोगों के जीवन और सांस्कृतिक मानकों को लगातार ऊपर उठाने के लिए तैयार होगी। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मेहनतकश लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों के बारे में निर्णय लेने वाले होंगे। ज़रूरत है सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करने वाली एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करने की।

http://hindi.cgpi.org/23491

हिन्दोस्तान में मई दिवस की रैलियां :

देशभर में लाखों मज़दूरों ने अपने अधिकारों पर हो रहे हमलों का विरोध किया

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

1 मई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर देशभर के मज़दूरों ने विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित कीं। उन्होंने मज़दूरों द्वारा 1886 में शिकागो में किये गये संघर्ष को सलाम किया। शिकागो के मज़दूरों ने 8 घंटे के काम के दिन के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। देशभर के मज़दूरों ने मज़दूर वर्ग पर हो रहे हमलों का विरोध किया जैसे कि निजीकरण, ठेकाकरण व मज़दूर–विरोधी क़ानून और नीतियां, आदि। उन्होंने काम करने की बेहतर स्थिति के अपने अधिकार की मांग की।

तेलंगाना

दिल्ली में ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त रैली का आयोजन किया। उन्होंने मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी का विरोध किया।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई रैलियां आयोजित की गईं, जहां मज़दूरों ने राज्य और केंद्र सरकारों की जन–विरोधी, मज़दूर–विरोधी नीतियों की कठोर निंदा की। कोयंबटूर और तिरुपुर में यूनियनों ने मांग की कि केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताओं को वापस ले। सभी राज्यों में नुक्कड़ों, गलियों और ग्राम सभा के स्तर पर सभायें आयोजित की गईं।

राजस्थान

पंजाब के अमृतसर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, अलग–अलग उद्योगों के मज़दूरों, किसानों, छात्रों और मज़दूरों की यूनियनों ने सभायें आयोजित कीं और शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जलापूर्ति और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं को महंगा करने वाली सरकारी नीतियों की निंदा की। उन्होंने राज्य

पंश्चिम बंगाल

के कई कस्बों और शहरों में सभाओं का आयोजित किया। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन (पी.एस.एस.एफ.) और सफाई सेवक यूनियन के मज़दूरों ने स्थानीय नगर परिषद परिसर में एक संयुक्त रैली का आयोजन किया। स्थानीय लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भी एक कार्यक्रम

पंजाब

आयोजित किया। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया।

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सफ़ाई कर्मचारियों ने भी मई दिवस की रैलियों में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल में मज़दूरों ने हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में रैलियां निकालीं। रैलियों में फैक्ट्री

असम

मज़दूरों, रिक्शा चालकों और फेरीवालों की यूनियनों सहित विभिन्न यूनियनों ने भाग लिया। कई छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसरों में मई दिवस मनाया।

बिजली, रेलवे, बैंक और रक्षा क्षेत्र के मज़दूरों ने देश के कई हिस्सों में विरोध जुलूस आयोजित किए। महाराष्ट्र और झारखंड में बिजली मज़दूरों ने बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, कई वर्षों से किये गये मज़दूरों के बलिदान को याद किया और आज अपने अधिकारों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ लड़ने का संकल्प किया।

महाराष्ट्र

मध्य प्रदेश में ठेके पर काम करने वाले बिजली मज़दूरों ने स्थाई किये जाने, ठेका प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने और पार्ट–टाईम पर काम करने वाले मज़दूरों को पूरे समय के लिये काम पर रखने की मांग को लेकर मई दिवस की रैलियां आयोजित की गईं।

रेल मज़दूरों ने असम, गुजरात और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सभाओं, जुलूसों और बाइक रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने निजीकरण, नई पेंशन योजना, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश और रेलवे में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.

गुजरात

पी.पी.) का विरोध किया। राजस्थान के अजमेर जिले में रेलवे मज़दूरों और अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों ने विशाल रैलियों और सभाओं का आयोजन किया।

कई जन संगठनों ने पूरे हिन्दोस्तान में मई दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम किये और जुलूस निकाले।

http://hindi.cgpi.org/23516

दुनियाभर में अधिकारों के लिए लड़ रहे मज़दूर ...

पृष्ठ 7 का शेष

श्रीलंका की सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक नए मितव्ययिता अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को उबारने की शर्तों के रूप में आई.एम.एफ. के नुस्खे के अनुसार, सरकार द्वारा करों को बढ़ाने, 1.5 लाख सरकारी नौकरियों में कटौती करने और राज्य की मालिकी वाले सभी उद्यमों का निजीकरण करने की नीतियों के विरोध में मई दिवस पर सैकड़ों मज़दूर एकजुट हुए। उन्होंने आर्थिक सुधारों का विरोध किया, जिनकी वजह से लोगों पर आर्थिक संकट का बोझ बढ़ेगा।

तुर्किये

तुर्किये में हजारों मज़दूरों ने मई दिवस पर प्रदर्शन किये। कई रैलियों में सैकड़ों नौजवानों ने भी हिस्सा लिया। ऐतिहासिक मई दिवस चौक, तकसीम पर प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे मज़दूरों पर पुलिस ने हमला किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन मज़दूरों को विरोध करने से रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद हजारों लोग इस्तांबुल के माल्टेपे स्क्वायर पर इकट्ठे हो गए। अंकारा, इजमिर, बुर्सा, दियारबकीर, कोन्या, कासेरी, आर्टविन, सैमसन, यालोवा, जोंगुलदक और इस्कीसिर सहित पूरे तुर्किये में मई दिवस पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों

इस्तांबुल, तुर्किये

का आयोजन किया गया। तुर्किये के अदाना में लेबर ट्रेड यूनियन कंफेडरेशन द्वारा आयोजित रैली में लगभग 6,000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया।

इंग्लैंड

लंदन में मई दिवस की जुझारू रैली में दस हजार से अधिक मज़दूरों ने हिस्सा लिया। इंग्लैंड में हजारों नर्सों ने रविवार की रात 8 बजे से 1 मई की आधी रात तक 28 घंटे की हड़ताल अयोजित की। हड़ताल में भाग लेने वाली नर्सें इंग्लैंड के लगभग आधे अस्पतालों, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सामुदायिक सेवाओं में काम करने वालों में से थीं। हड़ताली नर्सें काम की बेहतर परिस्थितियों और बेहतर रोज़गार की मांग कर रही थीं। इंग्लैंड में यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.एस) की 125 ट्रस्टों की नर्सें अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर आयी हैं।

http://hindi.cgpi.org/23496

तमिलनाडु में मज़दूरों ने मई दिवस को बड़े जोश के साथ मनाया

वर्कर्स यूनिटि मूवमेंट के संवाददाता की रिपोर्ट

1 मई, 2023 को हिन्दोस्तान में पहली बार मनाये गये मई दिवस के समारोह की शताब्दी को मनाया गया। ठीक सौ साल पहले, मज़दूरों ने चेन्नई (तब मद्रास के नाम से जाना जाता था) में लाल झंडा फहराया था। इसलिए, इस वर्ष के मई दिवस का मज़दूरों के लिए बहुत महत्व है। अपने अधिकारों के लिए हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग के एकजुट संघर्ष को इस वर्ष के मई दिवस पर सौ साल पूरे होते हैं। यह संघर्ष पहले उपनिवेशवादी शासकों के ख़िलाफ़ था और आज़ादी के बाद से हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के ख़िलाफ़ लगातार जारी है।

चिंगलपेट में मज़दूरों की रैली

तमिलनाडु सरकार ने देशी और विदेशी पूंजीपतियों के कहने पर, काम के दिन के घंटों की अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे करने का क़ानून पारित किया है। इस मज़दूर विरोधी–क़ानून के ख़िलाफ़ मज़दूरों के सभी तबकों और सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा किये गए ज़ोरदार विरोध ने सरकार को पीछे हटने और क़ानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। तमिलनाडु में मज़दूरों ने मई दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। मज़दूरों ने अपने अधिकारों के लिए अपने एकजुट संघर्ष को और ज्यादा तेज़ करने का संकल्प लिया।

तोड़ीलालार ओट्टूमई इयक्म (मज़दूर एकता आंदोलन) ने फैक्ट्रियों के गेटों पर, मज़दूरों की कालोनियों तथा मज़दूरों की सभाओं व प्रदर्शनों में, मई दिवस के आह्वान के पर्चे को वितरित किया।

दवा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कपड़ा मिलों, बर्तन बनाने वाले कारख़ानों में, मज़दूरों के बीच इस पर्चे को वितरित किया गया। 12 घंटे के काम के दिन के विरोध में वूमन वर्कर्स यूनियन द्वारा आयोजित एक जनसभा में भी ये पर्चे वितरित किये गये। तमिलनाडु की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक सिम्पसन कंपनी के मज़दूरों के बीच भी ये पर्चे वितरित किये गये।

दक्षिण चेन्नई में एटक–सीटू की रैली

पाडी में टी.वी.एस. समूह की कंपनियों – ब्रेक्स इंडिया, सुंदरम क्लेटन और सुंदरम फास्टनर्स – के मज़दूरों के बीच इन पर्चों को वितरित किया गया। इन कंपनियों में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान मज़दूर है, जिन्हें अप्रेंटिस के तौर पर रखा गया है और उनका अत्याधिक शोषण किया जाता है। रॉयल इनफील्ड फैक्ट्री और यामाहा टेक्नोलॉजी पार्क के मज़दूरों के बीच भी तोड़ीलालार ओट्टूमई इयक्म (मज़दूर एकता आंदोलन) के पर्चे वितरित किए गए। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने वाली कंपनी याजाकी में बड़ी संख्या में नौजवान महिला और पुरुष मज़दूरों को काम पर रखा गया है, जिनमें से ज्यादातर को प्रशिक्षु के रूप में और अस्थायी तौर पर रखा जाता है, उस कंपनी के मज़दूरों के बीच भी ये पर्चे वितरित किए गए।

वर्तमान राज्य व्यवस्था के ख़िलाफ़ हर जगह मज़दूरों के बीच व्याप्त गुस्सा बहुत ही स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। वे इस वर्तमान व्यवस्था का विकल्प तलाश रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सभी मज़दूर संगठन एक मंच पर आकर, आगे का रास्ता दिखाएं।

मई दिवस के अवसर पर वी.एच.एस. अस्पताल के गेट पर आयोजित सभा में, मज़दूर एकता आंदोलन (डब्ल्यू.यू.एम.) के साथियों ने हिस्सा लिया। वी.एच.एस. वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड रामकृष्णन, यूनियन के कार्यकर्ता कॉमरेड वेलू और डब्ल्यू.यू.एम. के कॉमरेड भास्कर ने सभी मज़दूरों का अभिवादन किया। उन्होंने मज़दूरों के पिछले संघर्षों को याद किया। उन्होंने मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं और मज़दूरों के अधिकारों पर अन्य हमलों के बारे में बताया। उन्होंने मज़दूरों से इन हमलों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपनी एकता बनाने और मजबूत करने का आह्वान किया।

मज़दूर एकता आंदोलन (डब्ल्यू.यू.एम.) के साथियों ने राणे इंजन वाल्व वर्कर्स यूनियन द्वारा अपनी यूनियन के कार्यालय में आयोजित की गई मई दिवस की सभा में भी भाग लिया।

ऑल इंडिया ए.एस.एल. नेशनल एविएशन वर्कर्स यूनियन द्वारा आयोजित मई दिवस की सभा में भी डब्ल्यू.यू.एम. के साथियों ने भाग लिया। लाल झंडा फहराने के बाद, यूनियन के सचिव कामरेड पी. रमेश ने एयर इंडिया और ए.टी.एस.एल. में वर्तमान हालातों के बारे में बताया। उन्होंने मज़दूरों की एकता को मजबूत करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया। डब्ल्यू.यू.एम. के कामरेड भास्कर ने डब्ल्यू.यू.एम. के उद्देश्य के बारे में बताया और पूंजीवादी हमलों के ख़िलाफ़ हिन्दोस्तान के सभी मज़दूरों की एकता बनाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताया।

होसुर में मई दिवस पर रैली

डब्ल्यू.यू.एम. के कार्यकर्ताओं ने चेंगलपेट में मई दिवस की रैली में भाग लिया और शाम को एटक और सीटू द्वारा आयोजित सभा में भाग लिया।

कई कारख़ानों में मज़दूरों ने 8 घंटे के काम के दिन को बढ़ाकर 12 घंटे के काम के दिन को करने के मज़दूर–विरोधी संशोधन के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार द्वारा पूंजीपतियों के समर्थन में उठाये गये इस क़दम का पुरजोर विरोध किया। मज़दूरों के बीच पैदा किये गए बंटवारे का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पूरे मज़दूर वर्ग को एकजुट करने और सभी मज़दूर यूनियनों को एक–दूसरे के साथ काम करने तथा पूंजीपतियों और उनकी सरकारों के ख़िलाफ़ अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की गहरी इच्छा व्यक्त की।

कई फ़ैक्टरी गेटों पर उन कंपनियों के प्रबंधन ने, डब्ल्यू.यू.एम. के कार्यकर्ताओं को उनकी फ़ैक्टरियों के मज़दूरों के साथ बात करने से रोकने की कोशिश की। सरकार द्वारा समर्थित पूंजीपति मालिक इस तरह से पेश आते हैं, जैसे कि पूरा देश उनकी निजी संपत्ति है। डब्ल्यू.यू.एम. के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बहादुरी के साथ, इन धमकियों के बावजूद और उनका विरोध करते हुये फ़ैक्टरी गेटों पर अपने पर्चे वितरित किये।

पूंजीपतियों का ऐसा व्यवहार और अहंकार इस बात को सामने ला रहा है कि सभी ट्रेड यूनियनों और मज़दूर वर्ग के संगठनों को अपनी मजबूत एकता बनानी होगी। हमें अपने बीच की संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता को हराना होगा, जो हमारे बीच में फूट डालने वाले और हमारे मूलभूत अधिकारों पर, मज़दूर वर्ग और उसके संगठनों पर, इस तरह के हमलों को और भी तेज़ करने में केवल पूंजीपतियों की ही मदद करता है। इन सभी हमलों का एकजुट होकर सामना करने की तत्काल आवश्यकता को हमारे सामने ला रहा है। हमें पूंजीपतियों की ऐसी धमकियों के ख़िलाफ़, मज़दूर वर्ग और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, पर्चे निकालने और उन्हें हर फैक्ट्री में व्यापक रूप से वितरित करने के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। मज़दूर एकता आंदोलन, पूरे मज़दूर वर्ग और उसके संगठनों को पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ एकजुट करने के उद्देश्य से काम कर रहा है।

होसुर में कंसाई नेरोलैक वर्कर्स यूनियन ने पहल की और मावा फार्मा वर्कर्स यूनियन, टेरेक्स एम्प्लॉइज यूनियन, वेघ इंडस्ट्रीज वर्कर्स यूनियन और जीई एम्प्लॉइज यूनियन के साथ मिलकर मई दिवस की रैली और सभा का आयोजन किया। रैली में उन्होंने काम के दिन को 12 घंटे का करने के श्रम क़ानून संशोधन को और चार श्रम संहिताओं को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की। उन्होंने ठेका मज़दूरी को समाप्त करने और अस्थायी तौर पर रखे

कोयम्बटूर में मई दिवस का कार्यक्रम

गए प्रशिक्षु मज़दूरों आदि के रूप में रखे गए सभी मज़दूरों को स्थायी नौकरी पर रखने की मांग की। अशोक लेलैंड कर्मचारी संघ के द्रविड़ वर्कर्स यूनियन सहित मई दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने पूरे देश में मज़दूर वर्ग की एकता को बनाने और मजबूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

कोयंबटूर में सी.ओ.आई.टी.यू., 108 एम्बुलेंस मज़दूर यूनियन और सी.डब्ल्यू.पी. ने मई दिवस की रैली और सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मज़दूरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मज़दूरों ने मांग की कि सरकार मज़दूर–विरोधी 12 घंटे के काम के दिन के संशोधन और नई श्रम संहिताओं को वापस ले, सभी अस्थायी और ठेका मज़दूरों के लिए स्थायीकरण, 108 एम्बुलेंस मज़दूरों सहित सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए उचित वेतन आदि मांगें पेश कीं। बैठक में मज़दूरों की एक जुझारू एकता बनाने का आह्वान किया गया।

चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और जिला मुख्यालयों जैसे शहरों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे तमिलनाडु में औद्योगिक और कृषि मज़दूरों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ, कई स्थानों पर मई दिवस के समारोह आयोजित किए गए।

चेन्नई में वी.एच.एस. के मज़दूरों ने लाल झंडा फहराया

तुतीकुड़ी जिले में, तुतीकुड़ी–थिरुचेंदूर राजमार्ग पर उप्पुवयल तोड़ीलार आवासीय क्षेत्र में मई दिवस का समारोह आयोजित किया गया था। यह असंगठित मज़दूरों की फेडरेशन (यू.डब्ल्यू.एफ.) द्वारा आयोजित किया गया था। यू.डब्ल्यू.एफ. के नेताओं में से एक, कॉमरेड कृष्णमूर्ति ने इस सभा की अध्यक्षता और संचालन किया। मई दिवस की सभा में कई नमक क्षेत्रों से जुड़े मज़दूरों और स्थानीय कामकाजी लोगों ने भाग लिया। इस सभा में तमिलनाडु विवसाईगल संगम के कॉमरेड सरवानन मुथुवेल ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने मई दिवस के इतिहास के बारे में बात रखी और कामरेड सिंगारवेलर सहित मज़दूर वर्ग के उन शहीदों को सम्मानपूर्वक याद किया, जिन्होंने 1923 में चेन्नई में हिन्दोस्तान में पहली बार मई दिवस की सभा का आयोजन किया था। वक्ताओं ने नई श्रम संहिताओं को और काम के दिन को 12 घंटे का करने वाले संशोधन को वापस लेने की भी मांग की। मज़दूरों ने अपने अधिकारों के संघर्ष को तेज़ करने का दृढ़ संकल्प लिया।

http://hindi.cgpi.org/23463

दिल्ली में मई दिवस पर रैली

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता का रिपोर्ट

मज़दूर एकता कमेटी ने मई दिवस 2023 के अवसर पर एक बयान जारी किया (देखिये मई दिवस पर मज़दूर एकता कमेटी का बयान)। यह बयान हजारों–हजारों की संख्या में दिल्ली की फैक्ट्रियों और मज़दूरों के रिहायशी इलाकों में तथा संयुक्त मई दिवस रैली में बांटा गया।

1 मई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित टाउन हॉल पर संयुक्त मई दिवस की रैली आयोजित की गयी। यह रैली दिल्ली ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की अगुवाई में आयोजित की गई थी। भारी वर्षा के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मज़दूर मई दिवस मनाने के लिये एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में महिला मज़दूरों ने गर्मजोशी के साथ रैली में भाग लिया।

"न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करो!", "ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करो!", "सबको स्थाई रोज़गार दो!", "पुरानी पेंशन योजना को लागू करो!", "असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करो!", "मज़दूर–विरोधी लेबर कोड वापस लो!", "समान काम का समान वेतन!", "रेलवे, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के निजीकरण को बंद करो!", "पूंजीवादी शोषण नहीं चलेगा!", "किसानों को सही दाम दो!", दुनिया के मज़दूरों, एक हो!", "मज़दूर–किसान एकता ज़िंदाबाद!", "इंक़लाब ज़िंदाबाद !", आदि जैसे नारों से सभा स्थल गूंज उठा। रैली के सहभागियों के हाथों में बैनर और प्लेकार्ड थे, जिन पर मज़दूरों की मांगें लिखी हुयी थीं।

जोशपूर्ण नारों ने चांदनी चौक के बाज़ारों से गुजरने वाली भारी आबादी को जनसभा की ओर आकर्षित किया।

मज़दूर वर्ग के अधिकारों के संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुये, जनसभा की शुरुआत की गयी।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की मज़दूर विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि ये नीतियां

पूंजीपति वर्ग के हित के लिए हैं। चार नए लेबर कोड देशी और विदेशी कार्पोरेट घरानों द्वारा मज़दूरों के शोषण और श्रम की लूट को और आसान करने के लिए लाये गए हैं। इनके ज़रिये हमारे सालों–सालों के संघर्ष व कुर्बानियों से हासिल किये गए अधिकारों को छीना जा रहा है।

स्थाई रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में दैनिक काम के घंटों को 8 से बढ़ा कर 12 किया जा रहा है। दिल्ली में 95 प्रतिशत मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। पूंजीपति मालिकों के मुनाफ़ों को सुरक्षित रखने के लिए, मनमाने ढंग से छंटनी व तालाबंदी की जा रही है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें, दोनों इसमें लगी हुयी हैं।

मज़दूरों की एकता को तोड़ने के इरादे से हुक्मरानों और उनके दलालों द्वारा धर्म और जाति के नाम पर हमें बांटने की साज़िशें की जा रही हैं। इनसे हमें चौकन्ने रहना होगा, इस पर वक्ताओं ने ज़ोर दिया। सभी वक्ताओं ने मज़दूरों और किसानों के एकजुट संघर्ष को और तेज़ करने का आह्वान किया।

मज़दूर एकता कमेटी के वक्ता संतोष कुमार ने उन सभी को लाल सलाम कहकर अभिवादन दिया, जो हुक्मरानों के हमलों का सामना करते हुए, अपने अधिकारों के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज अमरीका, यूरोप और दुनिया के दूसरे भागों में, पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़ मज़दूर सड़कों पर उतर रहे हैं। मज़दूर अपने अधिकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में, सामाजिक सुरक्षा में कटौती के विरोध में, पक्की नौकरियों और जीने लायक वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में भी मज़दूर और किसान बढ़–चढ़ कर संघर्ष कर रहे हैं।

केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें निजीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और सार्वजनिक सेवाओं को कौड़ियों के भाव पर इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है।

सभी सरकारों ने देश के हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की अमीरी को बढ़ाने का ही काम किया है। मज़दूरों और किसानों का शोषण बढ़ता ही जा रहा है। न्यायालय, संसद, संविधान, क़ानून व्यवस्था – ये सब हुक्मरान पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने करोड़ों–करोड़ों रुपए खर्च करके चुनावों में उसी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करते हैं, जो सबसे बेहतरीन तरीक़े से पूंजीपतियों के अजेंडे को लागू करेगी और साथ–साथ लोगों को बेवकूफ बनायेगी। सरकारें बदलती रही हैं लेकिन मज़दूर–किसान की ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है।

हम मज़दूरों और किसानों को इस भ्रम को ख़त्म करना होगा कि पूंजीपति वर्ग की हुकूमत और मौजूदा शोषण–दमन की व्यवस्था के अन्दर हमारी हालतों में उन्नति हो सकती है। हमें पूंजीपति वर्ग की सेवा करने वाली एक पार्टी को सरकार से हटाकर दूसरी पार्टी को सरकार में लाने से अपनी हालातों में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

अंत में उन्होंने कहा कि हम मज़दूर और किसान देश की दौलत को पैदा करते हैं। हमें इस देश का मालिक बनना होगा। हम मज़दूरों–किसानों को अपनी हुकूमत स्थापित करनी होगी।

सभा को संबोधित करने वालों में शामिल थे – एटक से अमरजीत कौर, ए.आई.यू.टी.यू.सी. से आर.के. शर्मा, ए.आई.सी.सी.टी.यू. से सुचेता डे, सीटू से अनुराग सक्सेना, एच.एम.एस. से नारायण सिंह, सेवा से सुभद्रा, यू.टी.यू.सी. से मानवेंद्र सिंह, टी.यू.सी.सी. से एस.के. गुप्ता तथा आई.सी.टी.यू. से नरेन्द्र सिंह।

सभा में जन नाट्य मंच ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया।

जोशीले नारों के साथ और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए, रैली का समापन हुआ।

मई दिवस के अवसर पर नौजवानों का कार्यक्रम

मज़दूर एकता कमेटी ने 30 अप्रैल, 2023 को दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में नौजवानों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए, मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों तक लगातार मज़दूरों के घर–घर जाकर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने को प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता–कार्यक्रम में सौ से ज्यादा युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

इस प्रतियोगिता में मज़दूर वर्ग की ज़िंदगी से जुड़े विषयों को नौजवानों ने निबंध तथा चित्रकला के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, निबंध के कुछ विषय थे – मई दिवस का महत्व, मेरी मां की दिनचर्या, टैंकर पर पानी भरने से पढ़ाई का नुकसान, आदि। चित्रकला के कुछ विषय थे – टैंकर पर पानी भरते लोग, काम करते मज़दूर, फल बेचते अंकल, मेरा परिवार, आदि। नौजवानों की गहरी सोच व संवेदनशीलता, सांस्कृतिक व कलात्मक गुण – जो उनके निबंधों और चित्रों में देखने में आये – बहुत ही प्रेरणाजनक थे।

इसके अलावा, छोटे बच्चों के लिए बोरी दौड़ आयोजित की गयी थी।

कार्यक्रम लगभग पूरे दिन तक चला। शाम को समापन सभा हुयी, जिसमें पुरस्कार वितरण किया गया। नौजवानों और उनके परिजनों ने भारी संख्या में सभा में हिस्सा लिया। मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं और कई दूसरे संगठनों, जैसे कि कॉनकर इंप्लाइज यूनियन, दक्षिण दिल्ली ई–रिक्शा चालक यूनियन, लोक राज संगठन, आदि के नेताओं ने पुरस्कार वितरण करके अपनी प्रोत्साहनकारी बातों से नौजवानों के हौसले बुलंद किये।

http://hindi.cgpi.org/23434

मज़दूर एकता कमेटी का बयान

पृष्ठ 8 का शेष

नेताओं की वजह से है। उनका कहना है कि अगर वर्तमान भाजपा सरकार को हटा दिया जाये तो मज़दूरों और किसानों की सारी समस्याएं हल हो जायेंगी। वे संघर्षरत लोगों को आगामी लोक सभा चुनावों में भाजपा के किसी विकल्प की सरकार को चुनने के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

हमारे पास बीते 76 वर्षों का अनुभव है। हमने सरकार में पार्टियों को बार–बार बदलते हुए देखा है। परन्तु पूंजीपतियों का अजेंडा बेरोक चलता रहा है। अमीरों और ग़रीबों के बीच की खाई बढ़ती ही रही है। क्या, हमें फिर से उसी चक्र में फंसना है?

हमें वर्तमान संसदीय व्यवस्था की जगह पर श्रमजीवी लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करनी होगी। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कार्यपालिका, निर्वाचित विधायिकी के प्रति जवाबदेह होगी और चुने गए प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होंगे। राजनीतिक प्रक्रिया 18 साल से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के चुनने और चुने जाने के अधिकार की पुष्टि करेगी, जिसमें किसी भी चुनाव से पहले उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार शामिल होगा। चुनाव अभियान के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया जायेगा और किसी निजी धन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जायेगी।

हम मज़दूर और किसान समाज की अधिकतम आबादी हैं। हम देश की दौलत को पैदा करते हैं परन्तु हुक्मरान पूंजीपति वर्ग हमारे श्रम का फल हड़प लेता है। पूंजीपतियों की अमीरी बढ़ती रहती है जबकि हमारी हालत बद से बदतर होती जाती है। इसे बदलना होगा। पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाना होगा। देश की दौलत पैदा करने वालों को देश का मालिक बनना होगा। ऐसा करके ही हम वह नया समाज स्थापित कर सकेंगे, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को जनता की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में संचालित किया जायेगा और लोग देश के भविष्य को निर्धारित करने वाले फ़ैसलों को लेने में सक्षम होंगे।

मज़दूर साथियों,

आज से 133 वर्ष पहले, 1 मई, 1890 को यूरोप के सभी देशों के मज़दूर 8 घंटे के काम के दिन की मांग को लेकर, सड़कों पर उतरे थे। 1889 में स्थापित सोशलिस्ट इंटरनेशनल के आह्वान पर, 1 मई के दिन को पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़ मज़दूरों के संघर्षों के प्रतीक के रूप में ऐलान किया गया था। उस समय से लेकर आज तक, सारी दुनिया में मई दिवस पर मज़दूर पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के लिए अपने संघर्ष को और मजबूत करने के संकल्प के साथ आगे आते हैं।

मज़दूर वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था से समाज को मुक्त कराना होगा। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकशों का शोषण–दमन ख़त्म नहीं हो सकता है।

आइए, हम मज़दूरों, किसानों और सभी उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए, अपने एकजुट संघर्ष को और तेज़ करें। आइए, हम इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग की हुकूमत की जगह पर, मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, देश के सभी शोषित और पीड़ित लोगों को संघर्ष में लामबंध करें।

हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान
मज़दूर, किसान, औरत और जवान!
मई दिवस ज़िन्दाबाद!
इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 May, 2023, Date of publish - 16 May, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

ई.एस.आई.सी. के ठेका मज़दूर संघर्ष के रास्ते पर

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता द्वारा

8 मई, 2023 को मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली के ओखला स्थित ई.एस.आई.सी. अस्पताल के मुख्य गेट पर, अस्पताल में काम करने वाले ठेका मज़दूरों के संघर्ष के समर्थन में पर्चे बांटे।

विदित है कि ओखला में स्थित ई.एस.आई.सी. अस्पताल में ठेकेदार कंपनी एस.एन. इंटरप्राइज़ के माध्यम से नियुक्त किये गये सफ़ाई मज़दूर अपने क़ानूनी वेतन व काम की बेहतर हालतों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूर अस्पताल के सामने धरना दे रहे हैं। साथ ही साथ, अपने अधिकारों के लिए क़ानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं।

मज़दूरों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज़ की है। जब 28 अप्रैल, 2023 को लेबर कोर्ट की ओर से नोटिस आया तब ठेकेदार ने 1 मई को 55 मज़दूरों को दूर–दराज़ के इलाकों के लिये ट्रांस्फर लेटर दे दिये। हालांकि मज़दूरों ने ठेकेदार से एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन ठेकेदार कंपनी ने घोषित कर दिया कि जो मज़दूर 3 मई से नई जगह पर काम पर नहीं जायेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जायेगा।

मज़दूरों ने 2 मई को ई.एस.आई.सी. ओखला अस्पताल के गेट पर अपना धरना–प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में प्रबंधन ने पुलिस को बुलाकर जबरन उनके धरना को हटवा दिया। अस्पताल ने आदेश दिया है कि इन मज़दूरों को अस्पताल से 50 मीटर दूर रखा जाये।

ठेका मज़दूरों ने ई.एस.आई.सी. अस्पताल के अन्दर अपने काम की मुश्किल हालतों के बारे में बताया। उन्हें रात को 12 घंटे की

ई.एस.आई.सी. के ठेका मज़दूरों का प्रदर्शन (8 मई, 2023)

शिफ्ट में काम करवाया जाता है। उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है। उन्हें ठेकेदार द्वारा वर्दी, महिला मज़दूरों को दुपट्टे, दस्ताने आदि नहीं दिये जाते हैं। सफ़ाई के दौरान संक्रमण से बचने के लिये उन्हें मास्क और गाऊन भी नहीं दिये जाते। इन सुविधाओं की मांग करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बिना किसी छुट्टी के महीने भर काम करवाया जाता है। छुट्टी मांगने पर इनको काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है।

उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर ई.एस.आई.सी. अस्पताल के प्रशासन को व्यक्तिगत तौर पर शिकायतें की हैं। जिन्होंने शिकायतें की हैं, उन्हें ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन द्वारा निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

मज़दूरों द्वारा अस्पताल प्रशासन को दी गई शिकायत के अनुसार, इन मज़दूरों के बैंक खातों में सरकारी मापदंड के अनुसार वेतन आता है। यही वेतन ई.एस.आई.सी. को जमा किये जाने वाले बहीखाते में भी दर्शाया जाता है। बैंक खातों में पैसा आने के बाद, ठेकेदार वेतन के रूप में 11,500 रुपए को छोड़कर बाकी रकम वापस करने के लिए मजबूर करता है।

इन मज़दूरों ने बताया कि कोरोना काल में इनके काम के एवज में कोरोना योद्धा के तौर पर 45,000–60,000 रुपए, उनके बैंक खातों में भेजा गया था, उस रकम को भी ठेकेदार ने जबरन ले लिया। मज़दूरों ने इसके विडियो फुटेज भी दिखाए।

ई.एस.आई.सी. प्रबंधन और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते, इन मज़दूरों को क़ानूनी न्यूनतम वेतन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

मज़दूरों ने एक और चौंकाने वाली बात बतायी कि ई.एस.आई.सी. के प्रबंधन और ठेकेदार मिलकर, मजदूरों के जमा किए हुए धन को लूट रहे हैं। यह प्रबंधन की पूरी जानकारी के साथ होता है। ई.एस.आई.सी. प्रबंधन अपने रिकार्ड में मज़दूरों की संख्या ज्यादा दिखाता है परंतु वास्तव में उससे कम मज़दूरों से अस्पताल का पूरा कामकाज करवाता है। दिखाने के लिए फर्ज़ी हाज़िरी भरवाई जाती है। फर्ज़ी हाज़िरी लगाने वालों को ठेकेदार ई.एस.आई.सी. से प्राप्त पूरी रकम में से 2,000 रुपए देता है।

ई.एस.आई.सी. केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत चलने वाला संगठन है, जिसका काम है निजी क्षेत्र के मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। यह मज़दूरों और नियोक्ताओं के दिये गये अंशदान से चलता है और हर वर्ष लाभ कमाता है। इसके बावजूद सरकार इसमें पर्याप्त मात्रा में डाक्टरों, नर्सों, सफ़ाई मज़दूरों, आदि की भर्ती नहीं कर रही है।

ई.एस.आई.सी. की सेवाओं को बद से बदतर करने के लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है। ऐसा करके, मज़दूरों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा पाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और महंगी निजी स्वास्थ्य सेवा की ओर धकेला जा रहा है।

ई.एस.आई.सी. प्रबंधन, ठेकेदार के ज़रिये इन मज़दूरों से काम करवाता है। वह इनके न्यूनतम वेतन व काम की सही हालतों को सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरह पीछे हट रहा है। केंद्र सरकार और ई.एस.आई.सी. प्रबंधन इन मज़दूरों के शोषण और काम की कठिन हालतों तथा रोज़गार की असुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं।

http://hindi.cgpi.org/23521

पहलवानों को मिल रहा समर्थन

पृष्ठ 1 का शेष

(एडवा), भारतीय महिला फेडरेशन (एन.एफ़.आई.डब्ल्यू.), अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.) और अखिल भारतीय अग्रगामी महिला संगठन (ए.आई.ए.एस.एस.) ने एक संयुक्त बयान जारी करके पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने डब्ल्यू.एफ.आई. प्रमुख और हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की तत्काल गिरफ़्तारी के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का संयुक्त आह्वान किया है, क्योंकि इन दोनों पर महिला एथलीटों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

इससे पूर्व, 27 अप्रैल को महिला संगठनों ने जंतर–मंतर के निकट, जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय पर संयुक्त विरोध जुलूस किया था। प्रदर्शनकारी संगठनों में एडवा, ए.आई.एम.एस.एस., एपवा, एन.एफ़.आई.डब्ल्यू., प्रगतिशील महिला संगठन और पुरोगामी महिला संगठन शामिल थे। उन्होंने पहलवानों की मांगों का समर्थन करते हुए,

पुलिस आयुक्त को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्हें पुलिस मुख्यालय तक जुलूस निकालने से रोक दिया गया था।

30 अप्रैल, 2023 को आयोजित, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) की राष्ट्रीय बैठक में प्रदर्शनकारी पहलवानों का पूरा समर्थन करने का आह्वान किया गया था।

एस.के.एम., जिसने दिल्ली की सरहदों पर साल भर (2020–21) चलने वाले किसान आंदोलन की अगुवाई की थी, उन्होंने 6 मई को प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में देशभर में आन्दोलन चलाने के कार्यक्रम की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, 11–18 मई तक सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किये जायेंगे।

7 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एस.के.एम. के नेता और सैकड़ों किसान कार्यकर्ता पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए, जंतर–मंतर के विरोध स्थल पर पहुंचे।

किसानों को राजधानी में मार्च करने से रोकने के लिए 7 मई को, 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को विरोध स्थल पर और उसके साथ–साथ, उत्तर पश्चिम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर तथा दिल्ली की अन्य सरहदों पर तैनात किया गया था। कई किसान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परन्तु बेरिकेड्स और भारी पुलिस उपस्थिति के बावजूद, किसान विरोध स्थल तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने वहां बैठकें कीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लोगों से पहलवानों के संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान किया। बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ़्तारी की मांग को लेकर एस.के.एम. के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, केंद्रीय खेल मंत्री, गृहमंत्री और अन्य अधिकारियों से मुलाक़ात की।

पहलवानों ने मिल रहे समर्थन के लिए आभार प्रकट किया है, जिससे उन्हें अपनी जायज़ मांगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहने का साहस मिल रहा है।

http://hindi.cgpi.org/23509